लूट की व्यवस्था के विरुद्ध

"उलगुलान"

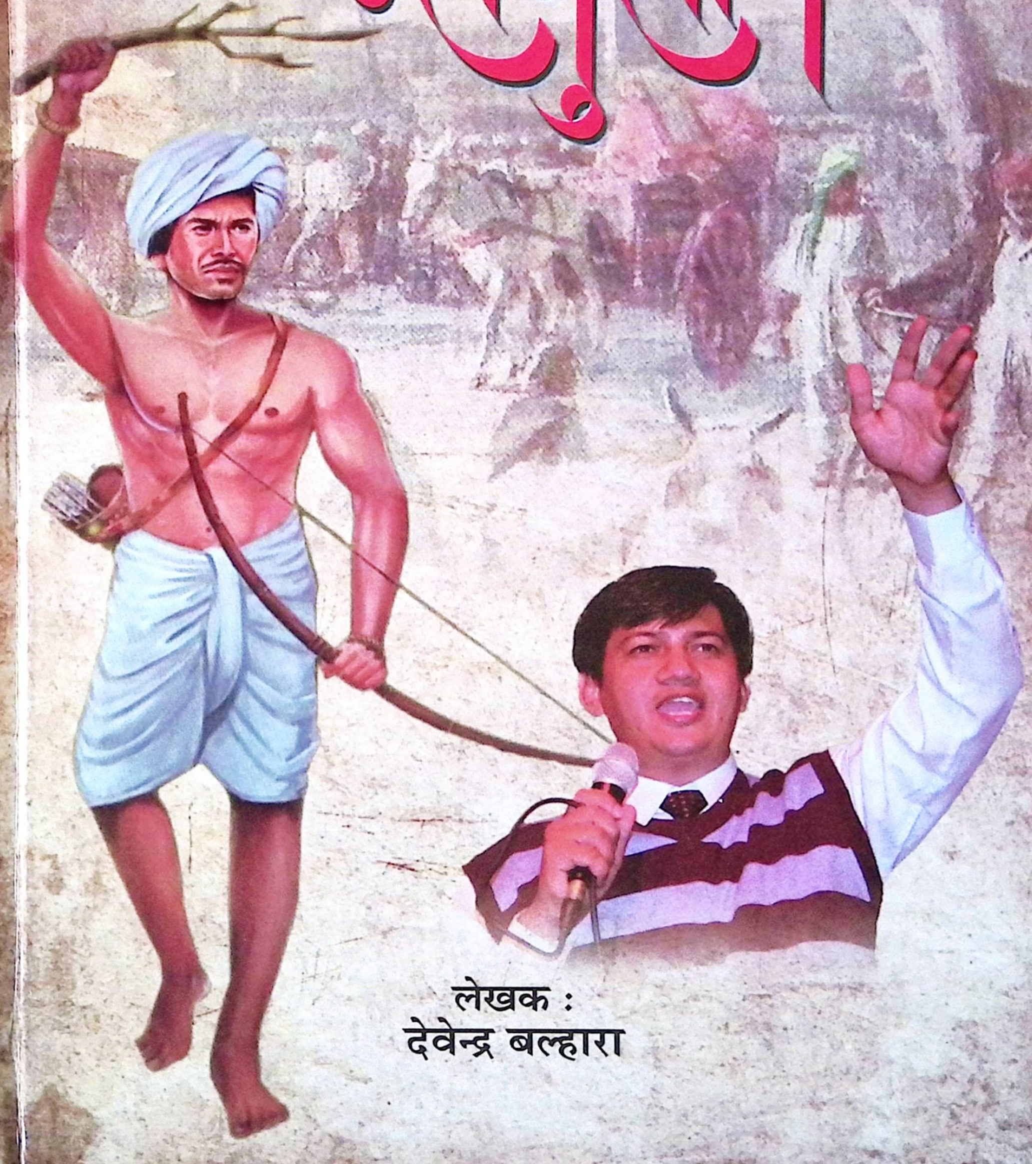

लेखक :
देवेन्द्र बल्हारा

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध
“उलगुलान”

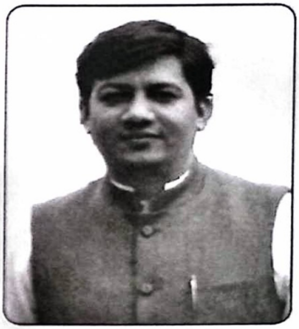

लेखक

देवेन्द्र बल्हारा

संपादक

वीरेन्द्र शिशोदिया

सप्तऋषि पब्लिकेशन

चंडीगढ़

Loot ki Vyvastha ke Viruddh "Ulgulaan"

by

Devender Balhara
VPO Phaphrana, Tehsil Assandh, Distt. Karnal,
Haryana - 132039
Mob.: 9518170000, E-mail: yashdkbalhara@gmail.com

Editor:
Virender Shishodia
Village- Sapnawat
District- Hapur (U.P.)

ISBN: 978-81-19011-31-5

Edition: 2026

© Author

Published by
Saptrishi Publication
Plot No. 25/6, Industrial Area, Phase-2,
Near Tribune Chowk, Chandigarh.
E-mail-: sapatrishi94@gmail.com
Visit us at : www.saptrishipublication.com
94638-36591, 77174-65715

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher and Author

Printed at Saptrishi Printer

भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है

हम भारत के लोग

जनता सरकार मोर्चा

सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन अभियान

एक कदम मानवता की ओर

अनुक्रमाणिका

भाग - एक

❖ समर्पण 8
❖ भूमिका 11
❖ प्रस्तावना 16
❖ लेखक परिचय 21
❖ दो शब्द 24
❖ किताब का उद्देश्य 28

भाग - दो

- अध्याय - 1 : हम आज क्यों रो रहे हैं? 32
- अध्याय - 2 : हमारे पूर्वजों और आज के भारतीय शुभचिंतकों की चेतावनियाँ 36
- अध्याय - 3 : लूट कैसे हुई 42
- अध्याय -4 : (किताब का हृदय) पाँच सूत्र - ईश्वर, जीव और प्रकृति का संतुलन 47

भाग - तीन

- अध्याय - 5 : आज की लूट- जिसका नाम है महँगाई 55
- अध्याय - 6 : कर्ज - गुलामी की आधुनिक जंजीर 61
- अध्याय - 7 : फिएट करेंसी 67
- अध्याय - 8 : गांव बोल रहा है 72

भाग - चार

- अध्याय - 9 : उलगुलान का अर्थशास्त्र 79

- अध्याय - 10 : ग्राम सभा की शक्ति और कानूनी संघर्ष 87
- अध्याय - 11 : जब गाँव जीतेगा 94
- अध्याय - 12 : कानूनी और संवैधानिक जंग 101

भाग - पाँच

- अध्याय - 13 : बैंकों के विरुद्ध SARFAESI Act, 2002 110
- अध्याय - 14 : कानूनी लड़ाई 115
- अध्याय - 15 : कानूनी लड़ाई 121
- अध्याय - 16 : कानूनी लड़ाई 128
- अध्याय -17 : कानूनी लड़ाई - अनुच्छेद 21: आपका सबसे बड़ा हथियार 134
- अध्याय -18 : कानूनी लड़ाई - प्राकृतिक न्याय के तीन सिद्धांत 140

भाग - छः

- अंतिम चेतावनी 147
- परिशिष्ट 151

❖ जनता सरकार मोर्चा 156

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध "उलगुलान"
भाग-एक

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान वह चेतना-ग्रंथ है जो इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र और ग्राम-जीवन के अनुभव को एक सूत्र में पिरोकर यह स्पष्ट करता है कि जब मुद्रा, बैंक और सत्ता मानव-मूल्यों से कट जाती हैं, तब लूट व्यवस्था बन जाती है; और जब गाँव अपनी **रोटी-बेटी-माटी, जल-जंगल-जमीन-जानवर, खेत-खेड़ा-खाप** और स्वावलंबन को पुन: स्थापित करता है, तब बिना हिंसा के ही गुलामी ढहती है और स्वराज साकार होता है।"

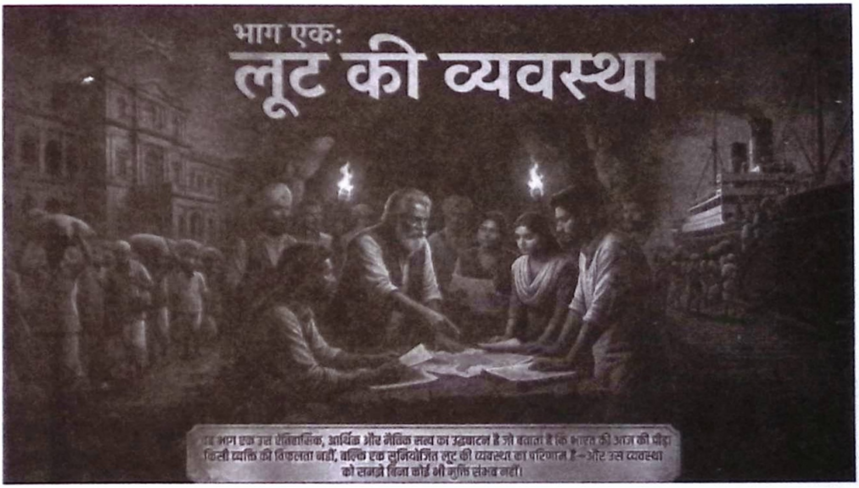

समर्पण

यह पुस्तक किसी एक लेखक, विचार या संगठन की नहीं है। यह भारत की आत्मा की पुकार है। यह उन सदियों पुराने घावों की गवाही है जो लूट की व्यवस्था ने भारत के गाँव, किसान, मजदूर और श्रमशील समाज को दिए हैं। इसलिए यह पुस्तक समर्पित है-

भारत के गाँव को

उस गाँव को,जो कभी स्वावलंबी था, समृद्ध था, स्वाभिमानी था। जहाँ रुपया मूल्य का मापक था, शोषण का साधन नहीं। जहाँ कर्ज गुलामी नहीं, सहयोग था।जहाँ खेत, जंगल, जल और पशु मनुष्य के साथ सह-अस्तित्व में थे।

भारत के किसान, मजदूर और उत्पादक समाज को

- उस किसान को, जिसने अन्न उगाया लेकिन स्वयं भूखा रहा।
- उस मजदूर को, जिसने इमारतें खड़ी कीं लेकिन छत से वंचित रहा।
- उस उत्पादक को, जिसकी मेहनत की कीमत फिएट मुद्रा और सूदखोरी की व्यवस्था ने चुपचाप लूट ली।

उन ऐतिहासिक महापुरुषों को

जिन्होंने अलग-अलग कालखंडों में आर्थिक गुलामी को पहचाना और चुनौती दी-

- **नवाब सिराजुद्दौला** - जिन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजों की असली लड़ाई तलवार से नहीं, रुपए और व्यापार की लूट से है।
- **सिदो-कान्हु** - जिन्होंने संथाल उलगुलान के माध्यम से जमीन, जंगल और कर-लूट के विरुद्ध विद्रोह किया।
- **बिरसा मुंडा** - जिन्होंने आदिवासी समाज को चेताया कि जब तक संसाधनों पर अधिकार नहीं होगा, तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी।
- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** - जिन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता बिना आर्थिक स्वतंत्रता के व्यर्थ है,और आज़ाद हिंद बैंक व मुद्रा की नींव रखी।

- **महात्मा गांधी** - जिन्होंने स्वदेशी, चरखा और ग्राम-स्वराज के माध्यम से विदेशी पूँजी और लूटकारी व्यवस्था को चुनौती दी।
- **विनोबा भावे** - जिन्होंने भूदान आंदोलन द्वारा भूमि-समानता और आर्थिक न्याय की चेतना जगाई।
- **सरदार भगत सिंह** - जिन्होंने बताया कि असली क्रांति सत्ता बदलने की नहीं, शोषण की व्यवस्था तोड़ने की होती है।
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** - जिन्होंने एक अर्थशास्त्री के रूप में "The Problem of the Rupee" लिखकर मुद्रा-लूट की वैज्ञानिक और कानूनी पोल खोली।

आधुनिक काल के चेतक और संघर्षशील महापुरुषों को

- **बाबा जयगुरुदेव** -
  जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जन-जागरण किया।
- **भाई राजीव दीक्षित को**- जिन्होंने "आजादी बचाओ आंदोलन" के माध्यम से लूट की व्यवस्था के विरुद्ध सोए हुए समाज को झकझोरा, और यह अमर सत्य छोड़ गए कि भारत की मुक्ति सत्ता से नहीं, स्वदेशी, स्वावलंबन और जनजागरण से होगी।
- **रामवृक्ष यादव** -
  जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि आर्थिक सत्य के लिए बलिदान आज भी ज़रूरी है।

उन अनगिनत गुमनाम योद्धाओं को

- जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं हैं,
- लेकिन जिनकी लड़ाई आज भी गाँव की मिट्टी में जीवित है।
- जो कोर्ट नहीं गए, जिन्होंने किताबें नहीं लिखीं,
  फिर भी अन्याय के सामने झुके नहीं।

आने वाली पीढ़ियों को

तािक वे जान सकें कि
भारत गरीब नहीं था - लूटा गया है।
गाँव कमजोर नहीं था - कमजोर किया गया है।

और यह लूट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं,
मानव-निर्मित व्यवस्था है
(या यूं कहिए कि कुछ लुटेरों द्वारा निर्मित व्यवस्था है)
जिसे बदला जा सकता है।

यह पुस्तक कर्ज़ से मुक्ति का मार्ग नहीं, स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का घोष है। यह पुस्तक हिंसा का आह्वान नहीं, ज्ञान, कानून और सामूहिक चेतना का उलगुलान है। यह पुस्तक हर उस हाथ को समर्पित है जो इस लूट की व्यवस्था को तोड़ने के लिए उठेगा-आज, कल या आने वाले समय में।

■ ■ ■ ■

भूमिका

भारत का गाँव बोल रहा है

मैं कोई लेखक नहीं हूँ।
मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ।
मैं कोई नेता भी नहीं हूँ।
मैं तुम्हारा गाँव हूँ।

वही गाँव,
जिसकी गोद में तुमने पहली बार मिट्टी की खुशबू पहचानी थी।
वही गाँव,
जहाँ तुम्हारी माँ ने तुम्हें लोरी सुनाई थी
और तुम्हारे पिता ने खेत में पसीना बहाकर
तुम्हारे लिए रोटी उगाई थी।
मैं वही गाँव बोल रहा हूँ।
लेकिन मेरी आवाज़ काँप रही है।
मेरे शब्द नहीं,
मेरे घाव बोल रहे हैं।

कभी मैं हरा-भरा था।
मेरे खेत सोना उगलते थे।
मेरी चौपालें हँसी से गूँजती थी।
मेरे तालाब जीवन देते थे।
मेरे बच्चे नंगे पाँव दौड़ते थे,
लेकिन भूखे नहीं होते थे।

आज मेरे खेत सूने हैं।
मेरी चौपालें वीरान हैं।
मेरे बच्चे शहरों की गलियों में

अपनी पहचान खोजते फिर रहे हैं।
और मैं...
मैं कर्ज़ में डूबा खड़ा हूँ।

मुझसे पूछा जाता है-
"गाँव पिछड़ा क्यों रह गया?"

कोई मुझसे यह नहीं पूछता-
"गाँव को पिछड़ा किसने बनाया?"

मैं गवाही देता हूँ-
मैं गरीब नहीं था।
मुझे गरीब बनाया गया।
मेरे पास आज भी वही मिट्टी है
जिसमें अन्न पैदा होता है।
मेरे पास आज भी वही हाथ हैं
जो मेहनत करना जानते हैं।
मेरे पास आज भी वही प्रकृति है
जो जीवन देती है।

फिर भी मैं कर्ज़दार हूँ।
यह कैसे संभव हुआ?

जिस बैंक के पास
न खेत हैं,
न गाय हैं,
न अन्न है,
न पसीना है-
उसके सामने मैं
गिरवी कैसे हो गया?

क्योंकि मेरे हाथ में
एक कागज़ थमा दिया गया-
जिसे तुम रुपया कहते हो।

यह केवल एक कागज़ नहीं है।
यह मापक का धोखा है।
यह मेरी मेहनत को चुपचाप
कम मूल्य में बदल देने की साज़िश है।

यह कोई एक दिन का खेल नहीं है।
यह कोई एक सरकार की गलती नहीं है।
यह कोई एक बैंक की चाल नहीं है।

यह तीन सौ साल पुरानी लूट की व्यवस्था है-
जो अंग्रेजों से शुरू हुई
और आज आधुनिक नामों के साथ
अब भी चल रही है।

मैंने इतिहास देखा है।
मैंने सिराजुद्दौला को लड़ते देखा।
मैंने सिदो-कान्हु और बिरसा मुंडा का उलगुलान देखा।
मैंने भगत सिंह का बलिदान देखा।
मैंने गांधी का स्वदेशी देखा।
मैंने अम्बेडकर का अर्थशास्त्र देखा।
मैंने राजीव दीक्षित का आजादी बचाओ आंदोलन देखा।

सबने एक ही बात कही-
"आर्थिक गुलामी के बिना राजनीतिक गुलामी संभव नहीं।"

तो इसका अर्थ ये हुआ कि आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक/
सामाजिक आजादी संभव नही है

लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी।
तुमने चमकते शहरों पर भरोसा किया।
तुमने कागज़ी विकास को सच मान लिया।

और आज मैं टूट रहा हूँ।
मेरे किसान फाँसी लगा रहे हैं।
मेरे युवा पलायन कर रहे हैं।
मेरी बेटियाँ असुरक्षित हैं।
मेरे बुजुर्ग चुप हैं।

लेकिन अब...
अब मैं चुप नहीं रहूँगा।

यह किताब मेरी आवाज़ है।
यह किताब तुम्हारी आवाज़ बनेगी।
यह किताब एक शिकायत नहीं,
एक सवाल है।

एक ऐसा सवाल
जो हर मेहनतकश को पूछना चाहिए-
"तुमने मुझे क्या दिया था,
और मैं तुम्हें क्या चुका रहा हूँ?"

यह किताब हिंसा की नहीं,
जागरण की किताब है।
यह तोड़फोड़ की नहीं,
चेतना की किताब है।

यह उलगुलान
डंडे से नहीं,
ज्ञान, कानून और एकजुटता से लड़ा जाएगा।

तो आओ...
फिर से चौपाल सजाएँ।

फिर से सवाल पूछें।
फिर से अपना रुपया,
अपना गाँव,
अपना स्वाभिमान पहचानें।

क्योंकि अब समय आ गया है-
गाँव के रोने का नहीं,
गाँव के जागने का।

और जब गाँव जागेगा,
तो भारत फिर से
अपने पैरों पर खड़ा होगा।

तुम्हारा अपना,
तुम्हारा ही गाँव

■ ■ ■ ■

प्रस्तावना

– जनता सरकार मोर्चा की ओर से

भाइयो-बहनो,
माताओ, बुजुर्गो और साथियो,

जब कोई बच्चा जन्म लेता है,
तो वह सबसे पहले माँ की गोद में आता है।
और भारत में माँ की गोद
हमेशा गाँव में होती है।

इसीलिए हम कहते हैं-
भारत का असली जन्मस्थान गाँव है।
भारत का असली दिल गाँव है।
भारत का असली स्वाभिमान गाँव है।

लेकिन आज वही गाँव
सबसे अधिक रो रहा है।

आज किसान कर्ज़ में है,
मजदूर असुरक्षित है,
युवा पलायन कर रहा है,
और पूरा देश
एक अनदेखी आर्थिक जंजीर में जकड़ा हुआ है।

हमसे कहा जाता है-
"देश आज़ाद है।"
पर हम यह प्रश्न करते हैं-
अगर देश आज़ाद है,
तो उसका उत्पादक समाज कर्ज़दार क्यों है ?

अगर देश आज़ाद है,
तो उसकी मेहनत की कीमत हर साल क्यों घट रही है ?

यही प्रश्न
इस पुस्तक की आत्मा है।

यह किताब क्या है और क्या नहीं है

यह किताब-

- न किसी को ऋण न चुकाने के लिए उकसाती है,
- न किसी कानून को तोड़ने की सीख देती है,
- न किसी हिंसा या अराजकता का समर्थन करती है।

यह किताब सवाल पूछने की किताब है।
एक ऐसा सवाल
जो हर मेहनतकश नागरिक
अपने बैंक, अपनी सरकार
और स्वयं से पूछने का अधिकार रखता है-

"तुमने मुझे क्या दिया था,
और मैं तुम्हें क्या चुका रहा हूँ ?"

यह सवाल
विद्रोह नहीं है।
यह सवाल
लोकतंत्र का मूल है।

तीन सौ साल पुरानी सच्चाई

यह पुस्तक यह मानकर चलती है कि-
भारत कीं आज की आर्थिक दुर्दशा
कोई अचानक आई आपदा नहीं है।

यह एक सुनियोजित व्यवस्था का परिणाम है-
जिसकी जड़ें

ईस्ट इंडिया कंपनी,
औपनिवेशिक बैंकिंग,
फिएट मुद्रा
और सूद-आधारित वित्त प्रणाली में हैं।

यह व्यवस्था
सिर्फ भारत में नहीं,
पूरी दुनिया में मेहनतकश समाज को
कर्ज़ और महंगाई के जाल में फँसाती है।

भारत में
इसका सबसे बड़ा शिकार
गाँव बना।

क्यों ज़रूरी है यह पुस्तक

यह पुस्तक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि-

- हमें यह बताया गया कि रुपया स्थिर है, जबकि वह लगातार कमजोर किया गया
- हमें बताया गया कि कर्ज़ विकास है, जबकि वह गुलामी बन गया
- हमें बताया गया कि यही एकमात्र व्यवस्था है, जबकि इतिहास कुछ और कहता है

यह पुस्तक
इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून
और गाँव के अनुभव-
चारों को एक साथ जोड़ती है।

यह विद्वानों की किताब नहीं,
बल्कि चौपाल की भाषा में लिखा गया सत्य है।

यह किताब कैसे पढ़ी जाए

इस पुस्तक को
न जल्दबाज़ी में पढ़िए,
न बहस जीतने के लिए।

इसे पढ़िए-

- अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर
- अपने कर्ज़ के कागज़ों को सामने रखकर
- अपने गाँव और परिवार को याद करके

यह किताब
आपसे सहमत होने की माँग नहीं करती।
यह आपसे
सोचने की माँग करती है।

हमारी मंशा स्पष्ट है

हम यह दावा नहीं करते कि
इस पुस्तक में हर उत्तर है।

लेकिन हम यह विश्वास जरूर करते हैं कि-
अगर यह पुस्तक
लाखों गाँवों में
एक ही सवाल खड़ा कर दे,
तो जवाब देना पड़ेगा।

और जब सवाल सामूहिक हो जाता है,
तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी
हिलने लगती है।

अंत में

यह प्रस्तावना
किसी आंदोलन की घोषणा नहीं है।

यह एक आमंत्रण है-
सोचने का,
समझने का,
और जागने का।

अगर गाँव जागेगा,
तो भारत जागेगा।
और जब भारत जागेगा,
तो यह लूट की व्यवस्था
ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी।

आइए,
इस पुस्तक को
सिर्फ पढ़ें नहीं-
समझें।
क्योंकि यही समझ
आने वाले समय की
सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

जय गाँव।
जय स्वाभिमान।
जय भारत।
जय जोहार।

- जनता सरकार मोर्चा

■ ■ ■ ■

लेखक परिचय

देवेन्द्र बल्हारा देश के पहले पेरेंटिंग कोच, जाने-माने करियर काउसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, चिंतक और सामाजिक जागरण मंच (जनता सरकार मोर्चा) के संस्थापक सदस्य हैं जो मूल रूप से हरियाणा के करनाल जिले के गाँव फफड़ाना (असंध) के निवासी है। वे लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और भारत की आर्थिक संरचना से जुड़े मूल प्रश्नों पर अध्ययन और जनसंवाद कर रहे हैं।

डॉ. बल्हारा का प्रमुख विचार यह है कि परमात्मा ने प्रत्येक बच्चे को विशेष बनाया है और उसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यदि शिक्षा व्यवस्था उस विशिष्टता को पहचान कर विकसित करे, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें शत-प्रतिशत रोजगार संभव हो और समाज में अपराध, गला-काट प्रतियोगिता, अवसाद और अनेक सामाजिक-मानसिक बीमारियों के लिए स्थान ही न बचे।

इसी विचार के परीक्षण के लिए उन्होंने वर्ष 2012 में अपनी सरकारी अध्यापक की नौकरी त्याग दी और अपने शोध की सत्यता को परखने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को कोचिंग देना आरंभ किया। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें यह समझ आया कि कोचिंग सेंटर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोढ़ के समान हैं। इसलिए वर्ष 2016 में उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दिया और ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए गाँव-गाँव जाकर जनजागरण का कार्य आरंभ किया जो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट प्रतिभा को पहचानकर उसे सम्मानजनक रोजगार से जोड़ सके।

सामाजिक और वैश्विक विषयों पर भी देवेन्द्र बल्हारा ने खुलकर अपनी बात रखी। New World Order जैसे वैश्विक षड्यंत्रों, जबरन वैक्सिनेशन,

मास्क और लॉकडाउन जैसी नीतियों के सार्वजनिक विरोध के कारण उन्हें 3 जनवरी 2022 को जेल भी जाना पड़ा।

जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भारत को भारतीयता के आधार पर पुन: खड़ा करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2022 को "जनता सरकार मोर्चा" की स्थापना की जिसमें आरंभ में 21 संगठन थे और अब 100 से अधिक संगठनों के लोग मोर्चे से जुड़े हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है।

इस मंच के माध्यम से वे लोगों को गाँव आधारित, कुदरती संतुलन वाली और स्वावलंबी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था के लिए जागृत करने का कार्य कर रहे हैं।

इसी क्रम में आचार्य घनश्याम वर्मा के साथ अध्ययन करते हुए उन्हें यह समझ आया कि भारत की संप्रभुता के प्रतीक "भारतीय रुपया" के कूटकरण और वर्तमान मुद्रा व्यवस्था के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक की मेहनत के साथ व्यापक आर्थिक अन्याय हो रहा है। इस विषय पर वे आचार्य घनश्याम वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक

"रुपया - मूल्य का मापक या शोषण का साधन"

में सह-लेखक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं।

वर्तमान समय में वे देशभर में कर्जमुक्त अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या वर्तमान बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था वास्तव में न्यायपूर्ण है।

देवेंद्र बल्हारा "Parenting and Education" विषय पर भी एक पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त जुलाई 2026 से भारतीयता के आधार पर "शिष्यकुल" की स्थापना हेतु जनजागरण यात्रा प्रस्तावित है। इस शिष्यकुल की कल्पना ऐसी शिक्षा व्यवस्था के रूप में की गई है जहाँ प्रत्येक गाँव से दो बच्चों को चुनकर उन्हें जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए तैयार किया जाएगा, और उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनके रोजगार का दायित्व भी संस्थान का ही होगा।

देवेन्द्र बल्हारा का विश्वास है कि

भारत की वास्तविक शक्ति उसके गाँव, उसकी मेहनत और उसकी नैतिक चेतना में निहित है।

जल-जंगल-ज़मीन-जानवर का अधिकार स्थानीय लोगों के हाथों में हो।

रोटी-बेटी-माटी का सम्मान करने वाला समाज बने।

खेत-खेड़ा-खाप आधारित सामाजिक व्यवस्था बने।

शिक्षा - स्वास्थ्य - न्याय - राजनीति - खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करने के मुद्दों पर भारतीयता के आधार पर भारत को संगठित करने के काम में "Bratva Family" देश में कार्य करने वाला परिवार भारत का सबसे बड़ा संगठित परिवार होगा, इस पर मुख्य रूप से कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

जब यह चेतना जागेगी, तब भारत केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी पुनः विश्व के सामने एक उदाहरण बन सकेगा।

■ ■ ■ ■

दो शब्द

- लेखक की ओर से

प्रिय पाठको,

यह पुस्तक लिखना मेरे लिए न कोई साहित्यिक शौक था और न ही किसी वैचारिक बहस में शामिल होने की इच्छा।

यह पुस्तक
मजबूरी में उठाई गई कलम का परिणाम है।

पिछले कई वर्षों में
मैंने हजारों किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों से
सीधे संवाद किया।
उनके कर्ज़ के कागज़ देखे,
उनकी आँखों में डर देखा,
और बार-बार एक ही सवाल सुना-

"हमने तो सब चुकाया,
फिर भी हम कर्ज़दार क्यों हैं?"

इस प्रश्न ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया।

मैंने सोचा-
या तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं,
या फिर व्यवस्था में ही कोई गंभीर गड़बड़ी है।

मैंने भावनाओं से नहीं,
कानून, अर्थशास्त्र और दस्तावेज़ों से इस प्रश्न को समझने का निर्णय लिया।
इसके लिए मैंने

- भारतीय मुद्रा व्यवस्था का अध्ययन किया

- RBI Act, Banking Regulation Act,
  Paper Currency Act 1882
  और संविधान की संबंधित धाराओं को पढ़ा
- अदालतों के निर्णय देखे
- और सबसे ज़रूरी-
  ज़मीन पर खड़े होकर लोगों की पीड़ा को समझा

इस अध्ययन का निष्कर्ष
मेरे लिए भी असहज था।

मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि-
आज जो आर्थिक संकट हम देख रहे हैं,
वह व्यक्तिगत असफलता नहीं,
व्यवस्थागत शोषण का परिणाम है।

यह पुस्तक
किसी को ऋण न चुकाने के लिए प्रेरित नहीं करती।
यह किसी कानून को तोड़ने की सलाह नहीं देती।
यह किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति
घृणा या हिंसा का आह्वान नहीं है।

यह पुस्तक
सवाल पूछने का साहस देती है।

एक साधारण, लेकिन मौलिक सवाल-

"तुमने मुझे क्या दिया था,
और मैं तुम्हें क्या चुका रहा हूँ?"

यदि यह सवाल गलत है,
तो इसका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए।
और यदि इसका उत्तर नहीं है,
तो सवाल उठना ही चाहिए।

मैं यह दावा नहीं करता कि
इस पुस्तक में कही गई हर बात
अंतिम सत्य है।

लेकिन मैं यह विश्वास जरूर करता हूँ कि-
जब तक हम
रुपए, कर्ज़ और मूल्य के मूल प्रश्नों पर
खुलकर बात नहीं करेंगे,
तब तक
गाँव, किसान और उत्पादक समाज
सिर्फ योजनाओं से नहीं बच पाएगा।

यह पुस्तक
विशेषज्ञों के लिए नहीं,
सामान्य नागरिक के लिए लिखी गई है।

चौपाल की भाषा में,
लेकिन तथ्यों के साथ।

यदि यह पुस्तक पढ़कर
आप असहमत होते हैं-
तो भी मुझे संतोष होगा।

क्योंकि असहमति भी
सोचने का प्रमाण है।

मेरा आग्रह केवल इतना है-
इसे पूर्वाग्रह के बिना पढ़िए।
अपने अनुभवों से जोड़कर पढ़िए।
और फिर स्वयं निर्णय कीजिए।

यदि यह पुस्तक
आपको
डर से बाहर निकालकर

सवाल करने की हिम्मत दे दे-
तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा।

क्योंकि
जब सवाल जागते हैं,
तभी समाज जागता है।

सादर,

लेखक -
देवेन्द्र बल्हारा

■ ■ ■ ■

किताब का उद्देश्य

यह पुस्तक किसी एक व्यक्ति, संगठन या आंदोलन का प्रचार-पत्र नहीं है। यह भारत की आर्थिक आत्मा को समझने, जगाने और पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल शिकायत करना नहीं, बल्कि उस लूट की व्यवस्था को पहचानना, समझना और तोड़ने का रास्ता दिखाना है, जो पिछले तीन सौ वर्षों से भारत के गाँव, किसान, मजदूर और उत्पादक समाज को चुपचाप गुलाम बनाती आ रही है।

इस पुस्तक के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. आर्थिक लूट की जड़ों को उजागर करना

इस पुस्तक का पहला उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत की गरीबी, कर्ज़, महंगाई और किसान आत्महत्याएँ कोई प्राकृतिक या आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं। ये सब उस फिएट मुद्रा व्यवस्था, सूदखोरी और बैंकिंग ढाँचे का परिणाम हैं जो मेहनत की वास्तविक कीमत को नष्ट करता है।

यह पुस्तक दिखाती है कि

- रुपया कभी मूल्य का स्थिर मापक था
- आज वह शोषण का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है

2. यह सिद्ध करना कि भारत गरीब नहीं, लूटा गया है

इस पुस्तक का उद्देश्य यह भ्रम तोड़ना है कि भारत हमेशा से गरीब रहा है। इतिहास, आँकड़े और अर्थशास्त्र के माध्यम से यह पुस्तक बताती है कि

- भारत विश्व की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था
- उसकी गरीबी योजनाओं की नहीं, व्यवस्था की देन है
- यह लूट अंग्रेजों से शुरू हुई और आज भी अलग रूपों में जारी है

3. गाँव को भारत की पुनर्रचना का केंद्र घोषित करना

यह पुस्तक मानती है कि भारत की मुक्ति संसद, शेयर बाज़ार या कॉर्पोरेट दफ्तरों से नहीं, गाँव की चौपाल से आएगी।

इसका उद्देश्य है-

- गाँव को फिर से स्वावलंबी बनाना (अर्थात धन का आदान-प्रदान)
- स्थानीय उत्पादन, वस्तु-विनिमय और सामुदायिक शक्ति को पुनर्जीवित करना (फिर से जिंदा कौम तैयार करना)
- गाँव को कर्ज़ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक इकाई बनाना

4. रुपया और मुद्रा व्यवस्था पर सवाल उठाने का साहस देना

यह पुस्तक पाठक को सिखाती है कि रुपया कोई पवित्र वस्तु नहीं, बल्कि एक मापक है-और मापक का मानक स्थिर होना चाहिए।

इसका उद्देश्य है-

- पाठक को यह प्रश्न पूछने का अधिकार देना:
  "तुमने मुझे क्या दिया था और मैं क्या चुका रहा हूँ?"
- बैंक, RBI और सरकार के सामने
  कानूनी, संवैधानिक और नैतिक सवाल खड़े करना

5. संघर्ष को हिंसा से नहीं, चेतना से जोड़ना

यह पुस्तक किसी भी प्रकार की हिंसा, अराजकता या अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करती।

इसका उद्देश्य है-

- ज्ञान को हथियार बनाना
- कानून को ढाल बनाना
- और सामूहिक चेतना को शक्ति बनाना

यह डंडे का नहीं, दीये का उलगुलान है।

6. पाँच सूत्रों के माध्यम से भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करना

यह पुस्तक केवल आर्थिक समाधान नहीं देती,
बल्कि यह बताती है कि आर्थिक पतन
आध्यात्मिक और नैतिक पतन से जुड़ा है।

इसका उद्देश्य है-

- गुरु, गायत्री, गंगा, गाय और गाँव
  जैसे पाँच सूत्रों को फिर से जीवन में उतारना

- मनुष्य को उपभोक्ता नहीं, संतुलित जीव के रूप में पुनर्स्थापित करना

7. आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य का दस्तावेज़ छोड़ना

यह पुस्तक भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ती है-
अगर आज चुप रहे, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी।
इसका उद्देश्य है-

- बच्चों और युवाओं को यह सिखाना कि
  गरीबी भाग्य नहीं, व्यवस्था का परिणाम है
- उन्हें गुलामी स्वीकार करना नहीं,
  सवाल करना और बदलना सिखाना

8. भारत को आर्थिक स्वराज की ओर ले जाना

इस पुस्तक का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है-
आर्थिक स्वराज।
ऐसा स्वराज जहाँ-

- रुपया स्थिर हो
- श्रम का मूल्य सुरक्षित हो
- गाँव आत्मनिर्भर हों
- और भारत फिर से विश्व के सामने
  ज्ञान, संतुलन और समृद्धि का उदाहरण बने

यह पुस्तक कोई अंत नहीं है।
यह एक शुरुआत है।
एक ऐसा उलगुलान-
जो तलवार से नहीं,
सच, साहस और समझ से लड़ा जाएगा।

■ ■ ■ ■

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग-दो

"भाग–दो वह चेतना है जो इतिहास, आँकड़ों और पूर्वजों की चेतावनियों के माध्यम से यह स्पष्ट करती है कि गाँव की पीड़ा का मूल कारण टूटा हुआ मुद्रा–मानक है, और उसका समाधान केवल गाँव, मूल्य और आत्मा को फिर से जोड़ने में है।"

अध्याय–1
हम आज क्यों रो रहे हैं ?

एक गाँव की कहानी - पूरे भारत की कहानी

भाई–बहनो,

यह अध्याय किसी इतिहास की किताब का पन्ना नहीं है। यह तुम्हारे-हमारे गाँव की दास्तान है, तुम्हारे बाप-दादाओं की आँखों देखी सच्चाई है और तुम्हारे बच्चों की आने वाली ज़िंदगी की चेतावनी है। आज जब मैं अपने गाँव की गलियों में चलता हूँ, तो सुनसान सन्नाटा चीखता है। जहाँ कभी हँसी-ठिठोली गूँजती थी, वहाँ अब ताले लटकते हैं। जहाँ कभी गाय-बैल की रंभाई होती थी, वहाँ अब कर्ज़ की रसीदें बिखरी रहती हैं। जहाँ कभी चौपाल पर बुजुर्ग कहानियाँ सुनाते थे, वहाँ आज युवा मोबाइल में झुके नज़र आते हैं - नौकरी की तलाश में।

आज की दुर्दशा - जब आँकड़े चीख रहे हैं

- 2023 - 11,290 किसान आत्महत्याएँ (NCRB)
- 2024 - देश पर कुल कर्ज़: 220 लाख करोड़ रुपये (RBI)
- 2025 - एक औसत किसान परिवार पर कर्ज़: ₹2.5 लाख

रुपये और मेहनत की सच्चाई-

- 1971 - ₹1 = पूरी कीमत | आज - ₹1 ≈ 6 पैसे
- 1971 - 10 ग्राम सोना ₹180 | 2025 - ₹1,24,000
- 54 साल में रुपया 689 गुना कमजोर | सोना 689 गुना महँगा

मतलब साफ़ है - तुम्हारी मेहनत की कीमत 689 गुना लूट ली गई।

ये सिर्फ आँकड़े नहीं हैं।

ये हमारे गाँव की लाशें हैं।

हर आंकड़ा एक किसान का शव है, एक माँ का रोना है, एक बच्चे का अनाथ होना है।

1947 - तथाकथित आज़ादी

15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में झंडा फहराया गया, तब गाँव में क्या बदला?

- गाँव में कर्ज़ था - और रहा।
- गाँव में भूख थी - और रही।
- गाँव में अंग्रेजी कानून चलते रहे।

क्यों?

क्योंकि आज़ादी सिर्फ झंडे की हुई थी, आर्थिक आज़ादी नहीं।

- 1947 - देश की लगभग 90% संपत्ति गाँवों के पास थी।
- आज - गाँवों के पास सिर्फ 10% बची है।
- 90% संपत्ति शहरों में चली गई, और शहरों में भी 1% लोगों के पास 60%।
- 1947 - देश पर कर्ज़ लगभग शून्य।
- 2025 - देश पर कर्ज़ 220 लाख करोड़ रुपये।

यानी 78 साल में जितना कमाया, उससे दस गुना ज़्यादा कर्ज़ ले लिया।

अंग्रेजी शासन का अंत - लूट के आख़िरी वार (1900–1947)

इस दौर में तीन बड़े वार किए गए-

- 1906 - स्वर्ण मानक को कमजोर किया गया (Coinage Act की धारा 5)।
- 1935 - RBI की स्थापना, निजी बैंकिंग ढाँचा।
- 1947 के बाद - फिएट मुद्रा की नींव।

परिणाम-

- 1900 - भारत विश्व GDP का 23%।
- 1947 - सिर्फ 3%।

47 साल में 20% विश्व संपत्ति की लूट।

यह लूट सिर्फ सोने-चाँदी की नहीं थी, यह गाँव की आत्मा की लूट थी।

अंग्रेजी शासन की शुरुआत - रुपया कैसे तोड़ा गया (1700–1900)

- 1700 - भारत: विश्व GDP का 27% । ब्रिटेन: 2.9%।
- भारत में प्रति व्यक्ति सोना-चाँदी भंडार दुनिया में सबसे ज़्यादा।
- गाँवों में हर घर में चाँदी, हर खेत में गाय-बैल।

1757 (प्लासी) के बाद पहला हमला कहाँ हुआ? - रुपए पर।

- 1835 - चाँदी का मानक (पहले सोना-चाँदी दोनों थे)।
- 1893 - गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड।
- 1906 - मानक और कमजोर।

क्योंकि जब तक रुपया सोने-चाँदी से जुड़ा रहता है, गाँव की मेहनत लूटी नहीं जा सकती।

अंग्रेजों से पहले - स्वर्णिम भारत

- सन् 1-1000 ई. - भारत विश्व GDP का 33%।
- 1000–1700 – 27-30%।

चाणक्य का अर्थशास्त्र साफ़ कहता है-

"राजा का पहला कर्तव्य मुद्रा को शुद्ध रखना है,
क्योंकि मुद्रा अशुद्ध हुई तो प्रजा अशुद्ध हो जाएगी।"

- 1540 - शेरशाह सूरी का रुपया: शुद्ध चाँदी।
- अकबर, शिवाजी, राणा प्रताप - सभी ने सोने-चाँदी का मानक रखा।

उस समय-

- कोई किसान आत्महत्या नहीं करता था।
- कोई गाँव कर्ज़ में नहीं डूबता था।
- कोई बच्चा भूखा नहीं सोता था।
- कोई जवान पलायन नहीं करता था।

क्योंकि रुपया स्थिर था, सोने-चाँदी से जुड़ा था और गाँव की मेहनत से जुड़ा था।

निष्कर्ष - आज हम कहाँ खड़े हैं ?

- 1700 - हम विश्व के सबसे अमीर थे।
- 1947 - हम कंगाल बना दिए गए।
- 2025 - हम कर्ज़ के गुलाम बन गए।

यह सफ़र सिर्फ आँकड़ों का नहीं है।
यह गाँव के टूटने और स्वाभिमान के मरने का सफ़र है।

लेकिन अब बस।

अब फिर से-

- रुपया मूल्य का मापक बनेगा।
- गाँव स्वावलंबी बनेगा।
- मेहनत की कीमत सुरक्षित होगी।

"अगले अध्याय में हम अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उन चेतावनियों को सुनेंगे जो हमें इस संगठित लूट और शोषण की व्यवस्था से सचेत रहने का संदेश देती हैं।"

तुम तैयार हो न ?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–2
हमारे पूर्वजों और आज के भारतीय शुभचिंतकों की चेतावनियाँ

जिन्हें हमने समय रहते नहीं सुना

भाई-बहनो,

पहले अध्याय में हमने देखा कि आज हमारा गाँव क्यों रो रहा है। अब इस अध्याय में हम उन लोगों की बात सुनेंगे जिन्होंने 100, 200, 500 और 2000 साल पहले ही साफ़-साफ़ चेतावनी दे दी थी-

> "अगर रुपए का मानक तोड़ा गया,
> तो गाँव टूटेगा और भारत कमजोर हो जाएगा।"
>
> उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर बताया।
> हमने अनसुना कर दिया।
> और आज हम उसी अनसुनी चेतावनी का परिणाम भुगत रहे हैं।
>
> आओ, एक-एक करके उनकी बात सुनें-
> ऐसे, जैसे वे हमारे गाँव की चौपाल पर बैठे हों।

चाणक्य (लगभग 300 ईसा पूर्व) - अर्थशास्त्र

चाणक्य ने बहुत सीधी बात कही-

"राजा का सबसे बड़ा पाप है मुद्रा को अशुद्ध करना।
मुद्रा अशुद्ध हुई तो प्रजा का खून अशुद्ध हो जाएगा।"

उनका अर्थ साफ़ था-

- मुद्रा में मिलावट = शासन में मिलावट।
- रुपया कमजोर = समाज कमजोर।

चाणक्य ने कहा था कि मुद्रा सोने-चाँदी से जुड़ी रहनी चाहिए।
कागज़ का रुपया चलाओगे, तो लूट अपने-आप शुरू हो जाएगी।
आज वही हो रहा है।

शेरशाह सूरी (1540-1545)

- शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया - शुद्ध चाँदी का।
- वजन: 11.66 ग्राम | शुद्धता: लगभग 100%।

उसका सीधा सिद्धांत था-
"रुपया जितना शुद्ध, देश उतना मजबूत।"

उसी रुपए से

- दिल्ली से काबुल तक सड़कें बनीं,
- किसान खुशहाल रहे,
- कर्ज़ का बोझ नहीं था।

क्योंकि रुपया ईमानदार था।

छत्रपति शिवाजी महाराज (1674-1680)

- शिवाजी महाराज ने "होन" नाम की मुद्रा चलाई - शुद्ध सोने की।

उनका साफ़ मत था-
"जिस देश का रुपया सोने से जुड़ा होता है,
उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता।"

- उन्होंने कभी विदेशी सत्ता से कर्ज़ नहीं लिया।
- उनकी अर्थव्यवस्था अपने बल पर चली।

मजबूत रुपया = मजबूत स्वराज।

दादाभाई नौरोजी (1901)
गरीबी और ब्रिटिश शासन

दादाभाई नौरोजी ने हिसाब लगाकर बताया-

- हर साल 30-40 मिलियन पाउंड भारत से ब्रिटेन जा रहे हैं।
- इसे उन्होंने नाम दिया - "धन की नाली" (Drain of Wealth)।

उनका निष्कर्ष साफ़ था-
अंग्रेजों ने जानबूझकर रुपए का मानक कमजोर किया,
ताकि भारतीय मेहनत सस्ती हो जाए।

रोमेश चन्द्र दत्त (1902)
भारत का आर्थिक इतिहास

उन्होंने कहा-

"ब्रिटिश शासन ने भारत को तीन हथियारों से लूटा-
भारी कर, अन्यायपूर्ण व्यापार और कमजोर रुपया।"
और साफ़ जोड़ा-
"इन तीनों में सबसे खतरनाक हथियार रुपया था।"

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (1923)
The Problem of the Rupee

- डॉ. अम्बेडकर ने इस विषय पर 300 पन्नों की किताब लिखी।
- उन्होंने साफ़ कहा-

"भारत को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड नहीं,
प्योर गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए।"

उनका तर्क सीधा था-

- गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड - ब्रिटिश हित में।
- प्योर गोल्ड स्टैंडर्ड - भारतीय हित में।

उन्होंने चेताया था-
अगर रुपया सोने से नहीं जुड़ा,
तो गरीब और गरीब होता जाएगा।

आज वही हो रहा है।

महात्मा गांधी (1909–1947)
हिंद स्वराज

बापू ने साफ़ कहा-

"ब्याज लेना पाप है।"
"मैं ऐसा रुपया चाहता हूँ जो गाँव से जुड़ा हो,
सोने–चाँदी से जुड़ा हो।"

उनका मानना था-
कागज़ी रुपया लालच बढ़ाता है
और गाँव को कमजोर करता है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (1944)

- नेताजी ने आजाद हिंद बैंक बनाया।
- आजाद हिंद रुपया चलाया - सोने–चाँदी से जुड़ा।

उन्होंने कहा-
"आर्थिक आज़ादी के बिना
राजनीतिक आज़ादी बेकार है।"
उनका विश्वास था-
जिस दिन भारत अपना रुपया सोने से जोड़ेगा,
उसी दिन असली आज़ादी आएगी।

विनोबा भावे (1951–1982)
विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया।
लाखों एकड़ ज़मीन बाँटी।

पर वे कहते थे-

"यह ज़मीन भी कर्ज़ और महँगाई खा जाएगी,
अगर रुपया अस्थिर रहा।"
उनका डर आज सच बन चुका है।

राजीव दीक्षित जी (1990–2010)
राजीव दीक्षित जी ने खुलकर कहा-

- 1935 में बना RBI - यह भारत का नहीं, ब्रिटिश ढाँचा है।
- 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड हटाना - भारत के साथ सबसे बड़ी गद्दारी।

बाबा जय गुरुदेव जी और बाबा रामवृक्ष यादव

- बाबा जय गुरुदेव जी कहते थे-

"यह रुपया गुलामी की निशानी है।"
"असली आज़ादी तब होगी जब अपना रुपया वापस आएगा।"

- बाबा रामवृक्ष यादव ने 2016, मथुरा में सत्याग्रह किया-

"या तो 60 लीटर पेट्रोल फ्री दो,
या गोल्ड स्टैंडर्ड वापस दो।"

आचार्य घनश्याम वर्मा और स्वयं मैं देवेन्द्र बल्हारा
(पुस्तकः "रुपया - मूल्य का मापक या शोषण का साधन")
हमारी सीधी बात-

"रुपया मूल्य का मापक है,
शोषण का साधन नहीं।"

- जब रुपया सोने से जुड़ा था - भारत समृद्ध था।
- जिस दिन मानक टूटा - शोषण शुरू हुआ।
- आज का कर्ज़, महँगाई, किसान आत्महत्या -

सब उसी टूटे मानक का परिणाम है।

जब तक रुपया सोने से नहीं जुड़ेगा,
गाँव और भारत की मुक्ति संभव नहीं।

निष्कर्ष - सबकी चेतावनी एक थी

"रुपए का मानक टूटा - गाँव टूटा।
गाँव टूटा - भारत टूटा।"

आज हम टूट चुके हैं।
लेकिन अब बस।

अब फिर से-

- रुपया जोड़ा जाएगा।
- गाँव स्वावलंबी बनेगा।
- भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

अगले अध्याय में हम देखेंगे-
यह लूट कैसे हुई।

तुम तैयार हो न ?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–3
लूट कैसे हुई

तीन सौ साल का षड्यंत्र - तीन कदमों में

भाई–बहनो,

पहले अध्याय में हमने देखा कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं।

दूसरे अध्याय में हमने सुना कि हमारे महापुरुष पहले ही चेतावनी दे चुके थे।

अब इस तीसरे अध्याय में हम देखेंगे-

यह लूट हुई कैसे?

कोई एक दिन में नहीं।

कोई एक सरकार से नहीं।

तीन सौ साल में, तीन साफ़ कदमों में।

ऐसे समझो, जैसे गाँव का कोई बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर हिसाब समझा रहा हो।

पहला कदम - रुपए का मानक तोड़ो (1757–1906)

- 1757 - प्लासी की लड़ाई।

अंग्रेज जीत गए। अब पहला काम क्या किया?

तलवार नहीं, रुपए पर वार।

उस समय-

- रुपया शुद्ध चाँदी का था।
- वजन: 11.66 ग्राम | शुद्धता: लगभग 100%।

अब एक–एक चाल देखो-

- 1835 - कानून बनाया:

रुपया सिर्फ चाँदी का रहेगा, सोने से रिश्ता तोड़ दिया।

- 1893 - गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड थोपा:

रुपया भारत में चलेगा,
लेकिन उसकी कीमत लंदन तय करेगा।

- 1906 - Coinage Act, धारा 5:
- 1 सोने की मोहर = 15 रुपये
- यानी 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना = 1 रुपया

☞ यह आख़िरी बार था जब कागज़ पर लिखा गया कि रुपया सोने से जुड़ा है।

इसके बाद रिश्ता तोड़ा गया,
पर चुपचाप।

1882 - पेपर करेंसी एक्ट : पहला खुला धोखा

- 1882 - Paper Currency Act।

इसमें साफ़ लिखा गया-

- धारा 9 और 11:

हर कागज़ी नोट के बदले सरकार के पास सोना या चाँदी का भंडार होगा।
नोट धारक माँगे तो सोना या चाँदी देना होगा।
यह कानून आज भी जिंदा है।
कभी रद्द नहीं हुआ।

☞ मतलब साफ़ है - कागज़ तभी वैध है, जब पीछे असली धातु हो।
यहीं से धोखा शुरू हुआ।

दूसरा कदम - अपना बैंक बनाओ (1906–1935)

अंग्रेजों ने सोचा-
“रुपया कमजोर कर दिया, अब बैंक अपने हाथ में लेते हैं।”

- 1926 - हिल्टन यंग कमीशन।
- 1935 - RBI की स्थापना।

RBI के बारे में सच्चाई-

- पहला गवर्नर - ऑस्बॉर्न स्मिथ (अंग्रेज)।
- दूसरा गवर्नर - जेम्स टेलर (अंग्रेज)।
- पहले 17 साल तक कोई भारतीय गवर्नर नहीं।

RBI का असली काम-

- भारत का पैसा भारत में नहीं, लंदन में रखना।
- भारत का सोना–चाँदी लंदन भेजना।
- भारत में कागज़ के नोट छापना।

- 1935 से पहले - भारत का अपना खजाना।
- 1935 के बाद - खजाना लंदन के हाथ।

तीसरा कदम - सोने से पूरी तरह तोड़ दो (1935 से आज तक)

- 1947 - आज़ादी मिली।

लेकिन-

- RBI वही रहा।
- कानून वही रहे।
- सोच वही रही।
- 1971 - अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा (निक्सन शॉक)।
- भारत ने भी चुपचाप छोड़ दिया।

अब-

- रुपया सिर्फ कागज़ रह गया।
- पीछे न सोना, न चाँदी।
- 1991 - नई आर्थिक नीति।

लाइसेंस राज गया,
लेकिन रुपए का मानक और ढीला हो गया।

- 2016 - नोटबंदी।
- 86% नकदी एक रात में खत्म।
- लोग सोने की ओर भागे।

- सोना महँगा हुआ।
- रुपया और कमजोर हुआ।

तीन सौ साल का खेल - तीन लाइन में

- रुपए का मानक तोड़ा ⟶ गाँव कमजोर।
- अपना बैंक बनाया ⟶ गाँव का पैसा लंदन गया।
- सोने से पूरी तरह तोड़ा ⟶ गाँव कर्ज़ में डूब गया।

आज का सच - सीधे आँकड़ों में

- 1947 - देश का कुल कर्ज़: लगभग शून्य।
- 2025 - देश का कुल कर्ज़: 220 लाख करोड़ रुपये।
- 1947 - 1 रुपया = सोने से जुड़ा।
- 2025 - 1 रुपया = सिर्फ कागज़।
- 1947 - किसान आत्महत्या: लगभग शून्य।
- 2025 - हर साल 11,000 से ज़्यादा।

अब असली सवाल

- लूट अंग्रेजों ने शुरू की।
- 1947 के बाद इसे कौन चला रहा है?
- आज भी रुपए का मानक क्यों नहीं लौटाया जा रहा?
- आज भी गाँव कर्ज़ में क्यों डूबा है?

जवाब तुम्हारे सामने है।
लेकिन एक बात याद रखो-

1882 का पेपर करेंसी एक्ट आज भी जिंदा है।
उसकी धारा 9 और 11 आज भी कहती हैं-
"हर नोट के पीछे सोना या चाँदी होना चाहिए।"

☞ यह हमारा सबसे मजबूत हथियार है।

☞ इसे कोई मिटा नहीं सकता।

☞ बस हमें इसे जगाना है।

अगले अध्याय में हम उस जड़ तक पहुँचेंगे
जहाँ से यह सारी बीमारी शुरू हुई।

अगला अध्याय इस किताब का हृदय है।
वहाँ हम देखेंगे कि-
यह लूट सिर्फ रुपए की नहीं,
हमारी आत्मा की लूट है।
ईश्वर, जीव और प्रकृति के संतुलन की लूट है।
हमारे पाँच सूत्रों की लूट है।

तैयार हो न?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–4 (किताब का हृदय)
पाँच सूत्र – ईश्वर, जीव और प्रकृति का संतुलन

भारत की आत्मा की रक्षा - यही हमारी असली लड़ाई है

भाई–बहनो,

यह अध्याय किताब का हृदय है।
यह अध्याय किताब का प्राण है।
यह अध्याय किताब की आत्मा है।

इसे पढ़ते समय तुम्हें कोई कानून दिखाई नहीं देगा,
कोई बैंक नहीं दिखेगा,
कोई नोट नहीं दिखेगा।

फिर भी अगर यह अध्याय न हो,
तो पूरी किताब मृत शरीर जैसी होगी।
जैसे आत्मा निकल जाए तो शरीर रह जाता है,
पर उसमें जीवन नहीं रहता।

यह अध्याय तुम्हें बताएगा कि-
रुपए की लड़ाई सिर्फ रुपए की नहीं है।
कर्ज़ की लड़ाई सिर्फ कर्ज़ की नहीं है।
गाँव बचाने की लड़ाई सिर्फ गाँव की नहीं है।

यह लड़ाई है-
ईश्वरत्व को बचाने की।
जीव को बचाने की।
प्रकृति को बचाने की।

यह लड़ाई है-
धर्म की, सत्य की और मानवता की।
यह लड़ाई है-
आत्मा को फिर से ईश्वर से जोड़ने की।

कागजी नोट - सिर्फ जेब नहीं काटता, आत्मा काटता है

जो लोग तुम्हारे हाथ में कागजी नोट थमाते हैं,
उनका मकसद सिर्फ तुम्हारी मेहनत और उत्पादन को लूटना नहीं है।

उनका मकसद है-

- तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काटना।
- तुम्हें ईश्वर से काटना।
- तुम्हें प्रकृति से काटना।
- तुम्हें केवल उपभोक्ता बनाना।

यह कागजी नोट सिर्फ कागज नहीं है।
यह एक धीमा जहर है।

यह जहर-

- ग्राम आधारित स्वावलंबी व्यवस्था को मार रहा है।
- आर्थिक विरासत को नष्ट कर रहा है।
- सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहा है।
- आध्यात्मिक चेतना को कुचल रहा है।

जब तक यह जहर तुम्हारे हाथ में रहेगा,
तुम ईश्वर को नहीं पहचान पाओगे,
जीव को नहीं पहचान पाओगे,
प्रकृति को नहीं पहचान पाओगे।

इसलिए यह किताब सिर्फ अर्थशास्त्र की किताब नहीं है।
यह धर्मयुद्ध की किताब है।
यह आत्मा की मुक्ति की किताब है।

पाँच सूत्र - भारत की आत्मा

हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले देख लिया था कि
अगर मनुष्य को जीवन चक्र से ऊपर उठाना है,
तो ऐसी व्यवस्था चाहिए
जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति - तीनों का पोषण हो।

इसके लिए उन्होंने हमें पाँच सूत्र दिए।
ये पाँच सूत्र ही भारत की आत्मा हैं।
इन्हीं सूत्रों ने भारत को स्वपोषित, स्वावलंबी और विश्वगुरु बनाया।

और इन्हीं सूत्रों को तोड़ना
आज की सबसे बड़ी साजिश है।
आओ, एक-एक सूत्र को समझें-
जैसे गाँव की चौपाल पर कोई बुजुर्ग समझाता है।

1. गुरु - ईश्वर का जीवंत स्वरूप

गुरु वह नहीं जो किताब पढ़ाए।
गुरु वह है जो आत्मा जगाए।

गुरु कहता था-
"तू ईश्वर का अंश है।
तू अमर है।
तू केवल शरीर नहीं है।"

जब तक गाँव में गुरु था-

- कोई कर्ज़ में नहीं डूबता था।
- कोई लालच में नहीं जलता था।

क्योंकि गुरु सिखाता था-
"इच्छा छोड़, आवश्यकता पूरी कर।"

आज गुरु की जगह
वेतनभोगी नौकरी और कोचिंग ने ले ली है,
जो सिखाती है-
"ज्यादा से ज्यादा कमाओ।"

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध "उलगुलान"

लालच आया,
रुपया कागज बना,
और हम ईश्वर से कट गए।

2. गायत्री - आत्मा का विवेक

गायत्री कोई मंत्र नहीं,
विवेक की आवाज़ है।
वह पूछती है-
"मैं कौन हूँ?
मेरा कौन है?"
जब तक गायत्री अनुपान (ध्यान) था-

- हम संतोषी थे।
- हम संवेदनशील थे।
- हम जानते थे कि जीवन इच्छाओं से नहीं चलता, आवश्यकताओं से चलता है।

आज गायत्री की जगह
भोग-विलास ने ले ली है,
जो सिखाता है-
"और चाहो, और जमा करो।"

इच्छा बढ़ी,
लालच बढ़ा,
और मनुष्य पशु बन गया।

3. गंगा - प्रकृति का जीवन-प्रवाह

गंगा सिर्फ नदी नहीं है।
गंगा जीवन का प्रवाह है।

- शुद्ध जल
- शुद्ध अन्न
- शुद्ध हवा

पहले खेत ही गंगा थे।
तालाब ही गंगा थे।

आज खेतों में जहर बोया जा रहा है।
जो अन्न पैदा हो रहा है, वही बीमारी दे रहा है।

अन्न अशुद्ध हुआ,
मन अशुद्ध हुआ,
और कर्ज़ बढ़ता चला गया।

गंगा सूख रही है,
और हमारे भीतर की प्रकृति भी, सूख रही है।

4. गाय - ईश्वर और जीव का आर्थिक सेतु

गाय सिर्फ पशु नहीं है।
गाय अर्थ, धर्म और करुणा का सेतु है।

- गोबर से खेत जीवित थे।
- दूध से शरीर स्वस्थ था।
- गोमूत्र औषधि था।

गाय थी-
तो अर्थ था।
तो धर्म था।
तो दया थी।
तो अहिंसा थी।
तो संवेदनशीलता थी।

आज गाय कत्लखाने में है,
और मनुष्य अस्पताल रूपी कत्लखाने में।
गाय गई,
तो अर्थ गया,
और हम ईश्वर से कट गए।

5. गाँव - ईश्वर, जीव और प्रकृति का जीवंत मंदिर

गाँव वह जगह थी जहाँ-

- गुरु बैठता था।
- गायत्री का अभ्यास होता था।

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध "उलगुलान"

- गंगा बहती थी।
- गाय विचरती थी।

गाँव था तो-
ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों जीवित थे।

गाँव था - तो भारत था।
गाँव गया - तो भारत गया।

यह सिर्फ आर्थिक षड्यंत्र नहीं, आध्यात्मिक षड्यंत्र है

कागजी नोट सिर्फ जेब नहीं काटता।

यह-

- आत्मा से काटता है।
- धर्म से काटता है।
- प्रकृति से काटता है।
- ईश्वर से दूरी बनाता है।

इसलिए यह लड़ाई-

सिर्फ मानवता की नहीं,
ईश्वरत्व की लड़ाई है।
धर्म की लड़ाई है।
प्रकृति की लड़ाई है।
और यह लड़ाई
ईश्वरीय शक्ति के बिना नहीं जीती जा सकती।

अंतिम आह्वान

यह किताब-

- सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं।
- सिर्फ आंदोलन नहीं।

यह-

धर्मयुद्ध है।
आत्मा की मुक्ति है।
भारत के पुनर्जन्म की पुकार है।

अब समय आ गया है-

- गुरु लौटाओ।
- गायत्री अनुपान (ध्यान) करो।
- गंगा को शुद्ध करो।
- गाय को बचाओ।
- गाँव को फिर से मंदिर बनाओ।

पाँच सूत्र जीवित होंगे -
तो गाँव जीवित होगा।
गाँव जीवित होगा -
तो भारत जीवित होगा।
यह किताब तुम्हारे हाथ में दीया है।
इसे जलाओ और अपने गाँव को रोशन करो।
क्योंकि अब समय है-
गाँव के रोने का नहीं, गाँव के जागने का,
गाँव के जीतने का
गाँव के राज करने का
तुम तैयार हो न?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग-तीन

"भाग–तीन उस अदृश्य लेकिन सबसे खतरनाक लूट को बेनकाब करता है जो महँगाई, कर्ज और फिएट मुद्रा के माध्यम से मनुष्य, गाँव और संविधान-तीनों को जकड़ती है, और स्पष्ट करता है कि इससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग गाँव आधारित, वास्तविक मूल्य पर टिकी जीवन–व्यवस्था है।"

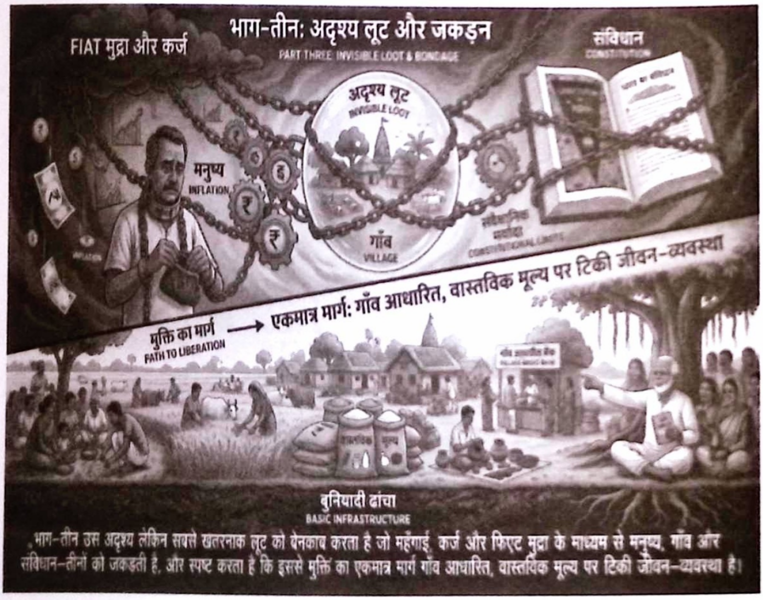

अध्याय - 5
आज की लूट- जिसका नाम है महँगाई
(सबसे बड़ा अदृश्य कर)

बिना कानून बनाए जनता से वसूली का हथियार

भाई-बहनो,

अब हम उस लूट तक पहुँचे हैं जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देती। इस पर कोई टैक्स स्लैब नहीं लिखा होता, कोई नोटिस नहीं आता, कोई रसीद नहीं मिलती। फिर भी यह रोज-रोज तुम्हारी जेब काटती है, तुम्हारी थाली खाली करती है और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खा जाती है। इस लूट का नाम है-महँगाई।

सरकार कहती है-यह बाजार का नियम है।

RBI कहता है-यह मौद्रिक नीति का साइड-इफेक्ट है।

अर्थशास्त्री कहते हैं-3 से 6% महँगाई तो जरूरी है।

लेकिन हम आज एक सीधा सवाल पूछेंगे-

अगर यह कर नहीं है, तो फिर जनता से पैसा क्यों लीया जा रहा है ?

और अगर लीया जा रहा है, तो किस कानून के तहत लीया जा रहा है ?

महँगाई क्या है ? – सीधी भाषा में

महँगाई का मतलब यह नहीं कि चीजें महँगी हो गईं।

महँगाई का असली मतलब है-रुपए की कीमत घटा दी गई।

कल जिस 100 रुपये से 10 किलो गेहूँ आता था,

आज उसी 100 रुपये से 2 किलो आता है।

गेहूँ नहीं बदला।

मेहनत नहीं बदली।

बदला सिर्फ रुपया।

यानी चुपचाप तुम्हारी मेहनत की कीमत काट ली गई।

कर और महँगाई में फर्क क्या है?

कर (Tax) क्या होता है?

- कानून बनता है
- संसद में बहस होती है
- जनता जानती है कि कितना दे रही है

महँगाई क्या है?

- कोई कानून नहीं
- कोई बहस नहीं
- कोई सूचना नहीं

फिर भी
तुम्हारी जेब से
हर साल 5–10% पैसा गायब।

इसीलिए महँगाई को दुनिया का हर ईमानदार अर्थशास्त्री कहता है-
Inflation Tax (अदृश्य कर)

यह अदृश्य कर लगता कैसे है?

जब RBI नए नोट छापता है-
वह सीधे तुम्हारे घर नहीं आते।

वे पहले जाते हैं-

- बैंकों के पास
- बड़े उद्योगों के पास

- शेयर बाजार के पास
- सरकार के खर्चों में

जब तक नया पैसा गाँव और आम आदमी तक पहुँचता है,
तब तक चीजों के दाम बढ़ चुके होते हैं।

नुकसान किसका ?

- मजदूर, किसान, पेंशनर, वेतनभोगी का।

फायदा किसका ?

- बैंक, बड़े उद्योग, शेयर बाजार का।

इसे ही कहते हैं-असमान लूट।

महँगाई और संविधान

अब सवाल-क्या यह संविधान के खिलाफ है ?
अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार
अगर महँगाई से

- भोजन कम हो
- इलाज महँगा हो
- शिक्षा दूर हो

तो यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 14 – समानता
महँगाई अमीर को फायदा देती है, गरीब को मारती है।
यह समानता नहीं, भेदभाव है।

अनुच्छेद 300A – संपत्ति का अधिकार
तुम्हारी बचत, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पेंशन-
सबकी कीमत घटा दी गई।
बिना किसी कानून के।

यह सीधी संपत्ति-हरण है।

"थोड़ी महँगाई जरूरी है" - यह सबसे बड़ा झूठ

यह कहा जाता है कि
बिना महँगाई के विकास नहीं होता।

सवाल पूछो-
किसका विकास?
अगर विकास सच में हो रहा होता,
तो मजदूर की मजदूरी
महँगाई से तेज बढ़ती।

लेकिन सच यह है-

- कीमतें तेज बढ़ती हैं
- मजदूरी धीरे बढ़ती है

यानी विकास नहीं,
शोषण हो रहा है।

गाँव और महँगाई

शहर में आदमी महँगाई को सह लेता है,
क्योंकि वह उधार ले सकता है।

गाँव में?
गाँव में महँगाई मतलब-

- कर्ज
- जमीन गिरवी
- आत्महत्या

इसलिए महँगाई सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं,
यह सामाजिक और नैतिक अपराध है।

महँगाई क्यों खत्म नहीं की जाती ?

क्योंकि महँगाई से-

- सरकार का कर्ज सस्ता हो जाता है
- बैंकों का मुनाफा बढ़ता है
- अमीर की संपत्ति बढ़ती है

और गरीब ?

वह चुपचाप मरता है।

समाधान क्या है ?

महँगाई खत्म करने का

एक ही स्थायी उपाय है-

स्थिर मूल्य का मानक।

जब रुपया-

- सोने से जुड़ा होगा
- या वास्तविक उत्पादन से जुड़ा होगा

तब नोट छापना आसान नहीं होगा।

तब लूट बंद होगी।

निष्कर्ष

महँगाई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है।
यह जानबूझकर बनाया गया
एक अदृश्य कर है।

यह कर संसद ने नहीं लगाया।
यह कर जनता ने मंजूर नहीं किया।

फिर भी यह वसूला जा रहा है।

अब सवाल यह नहीं कि
महँगाई क्यों है।

अब सवाल यह है-
हम इसे कब तक सहेंगे?

अगले अध्याय में हम देखेंगे-
कर्ज कैसे महँगाई का जुड़वाँ भाई है,
और कैसे यह दोनों मिलकर
गाँव और भारत को जकड़े हुए हैं।

तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज को और ऊँचा करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय - 6
कर्ज - गुलामी की आधुनिक जंजीर

महँगाई का जुड़वाँ भाई और गाँव का सबसे बड़ा शत्रु

भाई-बहनो,

अगर महँगाई सबसे बड़ा अदृश्य कर है, तो कर्ज उसकी लोहे की जंजीर है। महँगाई तुम्हारी मेहनत की कीमत चुपचाप काटती है, और कर्ज उस कटे हुए हिस्से को सूद के साथ वापस माँगता है। यही कारण है कि कर्ज सिर्फ आर्थिक शब्द नहीं है-यह आधुनिक गुलामी है।

आज कोई तुम्हें बेड़ियों में बाँधकर नहीं ले जाता।
आज तुम्हें कागज पर हस्ताक्षर करवाकर बाँधा जाता है।
नाम है-लोन एग्रीमेंट।

कर्ज क्या है? – सच, जो छुपाया जाता है
कर्ज का अर्थ सिर्फ पैसा लेना नहीं है।
कर्ज का अर्थ है-भविष्य को गिरवी रखना।
जब तुम कर्ज लेते हो,
तुम सिर्फ आज का पैसा नहीं लेते,
तुम अपनी आने वाली मेहनत,
अपने बच्चों का समय,
अपनी जमीन और अपनी इज्जत-सब गिरवी रखते हो।
और यह सब उस मुद्रा में,
जिसकी कीमत हर साल घटाई जा रही है।

कर्ज और महँगाई – एक ही सिक्के के दो पहलू

महँगाई क्या करती है?

- खर्च बढ़ाती है
- बचत खत्म करती है

जब बचत खत्म होती है,
कर्ज शुरू होता है।
और कर्ज क्या करता है?

- सूद जोड़ता है
- दबाव बनाता है
- और नई महँगाई को जन्म देता है

इसलिए कहा गया-
महँगाई कर्ज को जन्म देती है,
और कर्ज महँगाई को पालता है।

बैंक कर्ज देता है या कर्ज बनाता है?
यह सबसे बड़ा भ्रम है।
बैंक वह पैसा नहीं देता
जो किसी और ने जमा किया हो।
बैंक कर्ज देते समय नया पैसा पैदा करता है-
कागज पर, कंप्यूटर में।
इसे कहते हैं-क्रेडिट मनी।
तुम्हें असली मेहनत से चुकाना होता है,
और बैंक ने जो दिया,
वह उसने बनाया था-छापा नहीं, गढ़ा।
यह सौदा बराबरी का नहीं है।
यह शोषण है।

सूद – गुलामी का असली औजार

सूद क्या है?
सूद वह मांग है
जो वास्तविक उत्पादन से पैदा नहीं होती।
अगर अर्थव्यवस्था में
सिर्फ उतना ही पैसा है
जितना मूलधन दिया गया,
तो सूद आएगा कहाँ से?
आएगा-
- किसी और के कर्ज से
- या तुम्हारी संपत्ति से

इसलिए कर्ज कभी खत्म नहीं होता।
एक कर्ज चुकाने के लिए
दूसरा कर्ज लेना पड़ता है।

संविधान और कर्ज
अब सवाल-क्या यह संविधान के खिलाफ है?
अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार
कर्ज से
- नींद जाती है
- स्वास्थ्य जाता है
- आत्मसम्मान जाता है

जब कर्ज आत्महत्या तक ले जाए,
तो यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 23 – शोषण के विरुद्ध अधिकार
अगर किसी से
उसकी मजबूरी में
अन्यायपूर्ण शर्तों पर

मेहनत करवाई जाए-
तो वह शोषण है।
कर्ज और सूद
यही तो करते हैं।
अनुच्छेद 300A – संपत्ति का अधिकार
जमीन, घर, पशु-
सब कुर्क हो जाते हैं।
कागज के बदले
असली संपत्ति चली जाती है।

गाँव और कर्ज – सबसे घातक मेल
शहर में कर्ज
उपभोग के लिए होता है।
गाँव में कर्ज
जीने के लिए होता है।
बीज, खाद, दवा, शादी, बीमारी-
सब कर्ज से।
और जब फसल खराब हुई,
या दाम गिरे-
तो कर्ज किसान को निगल जाता है।
इसीलिए किसान आत्महत्या
कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं,
यह प्रणाली का अपराध है।

"कर्ज विकास के लिए जरूरी है" – यह भी झूठ
अगर कर्ज विकास लाता,
तो सबसे ज्यादा कर्जदार
सबसे विकसित होते।

लेकिन सच उल्टा है-

- ज्यादा कर्ज = ज्यादा गुलामी
- ज्यादा सूद = ज्यादा गरीबी

विकास कर्ज से नहीं,
स्थिर मूल्य और स्वावलंबन से आता है।

कर्ज से निकलने का असली रास्ता
कर्ज माफी
समाधान नहीं है।
क्योंकि कर्ज
फिर पैदा हो जाएगा।
असली समाधान है-

- महँगाई रोकना
- स्थिर मूल्य का मानक
- गाँव की अपनी अर्थव्यवस्था
- बैंक पर निर्भरता खत्म करना

जब रुपया स्थिर होगा,
तो कर्ज खुद सूख जाएगा।

निष्कर्ष

कर्ज कोई नैतिक दायित्व नहीं है,
जब वह धोखे से पैदा किया गया हो।
कर्ज कोई पवित्र वचन नहीं है,
जब वह असमान शर्तों पर थोपा गया हो।
कर्ज आज गुलामी की
सबसे मजबूत जंजीर है।
अब सवाल यह नहीं कि
कर्ज क्यों है।

अब सवाल यह है-

हम इसे कब तोड़ेंगे?

"अगले अध्याय में हम लूट के सबसे बड़े और सुनियोजित हथियार-फिएट करेंसी-को समझेंगे,

ताकि कर्ज और महँगाई, दोनों के पीछे छिपी वास्तविक व्यवस्था को पहचान सकें।"

तो पन्ना पलटो।

और अपने गाँव की आवाज को और ऊँचा करो।

जय हिंद।

जय गाँव।

जय स्वर्णिम भारत।

जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–7
फिएट करेंसी

एकतरफ़ा थोपा गया धोखा और नकली नोट

इसे पहचानो - यह कागज़ नहीं, जहर है।

भाई–बहनो,

अब हम उस सच तक पहुँचे हैं
जिसे जानकर खून खौलता है।

तुम्हारे हाथ में जो नोट है- ₹2 से ₹2000 तक-

उस पर लिखा है-

"मैं धारक को ... रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।"
हस्ताक्षर - RBI गवर्नर

यही वचन फिएट करेंसी की नींव है।

यही वचन तुम्हारी गुलामी का आधार है।

अब हम इसी वचन को तथ्यों, कानून और प्रमाण से जाँचेंगे-

सरल भाषा में,

जैसे चौपाल पर कोई बुजुर्ग हिसाब समझा रहा हो।

1. भरोसा एकतरफ़ा नहीं चलता - यह धोखाधड़ी है

गवर्नर कहता है- "मुझ पर भरोसा करो।"
तुम भरोसा करते हो।

लेकिन सच्चाई क्या है?

- तुमने कुछ लिया नहीं- सिर्फ कागज़ लिया।
- और बदले में तुमने मेहनत, अनाज, दूध, श्रम दे दिया।

यह भरोसा नहीं।

यह एकतरफ़ा सौदा है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 316
(पुरानी IPC 420) कहती है-
जानबूझकर गलत वचन देकर नुकसान पहुँचाना धोखाधड़ी है।

गवर्नर का वचन गलत है, क्योंकि-

- वह न सोना देता है,
- न चाँदी,
- न कोई स्थिर मूल्य।

आम भाषा में:
जैसे दुकानदार कहे "माल दूँगा",
और माल न दे- अपराध।

2. वचन का अर्थ बदल दिया गया - यह विश्वासघात है

पुराने नोटों पर वचन का मतलब था-
"on demand" यानी माँगने पर सोना/चाँदी।

- 1882 - Paper Currency Act
  नोट के पीछे धातु-बैकिंग अनिवार्य।
- 1935 - RBI Act
  शब्द रहे, अर्थ बदल दिया गया।
- 1971 के बाद
  वचन सिर्फ कागज़ रह गया- बैकिंग खत्म।

वचन बदलना-
बिना जनता की सुनवाई,
बिना खुली संसदीय बहस-
विश्वासघात है।

आम भाषा में:
शादी का वचन देकर निभाना न हो- धोखा।

3. "केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत" - पर प्रत्याभूति किसकी ?

RBI Act, 1934 - धारा 26

कहती है-

नोट केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

सवाल सीधा है-

किस चीज़ की प्रत्याभूति?

- फिएट में कुछ ठोस नहीं।
- न सोना,
- न चाँदी,
- न स्थिर मूल्य।

आम भाषा में:

कोई खाली जेब वाला कहे- "मेरे वचन की गारंटी है।"

यह झूठा वचन है।

4. कानून के विरुद्ध - रिज़र्व से कहीं ज़्यादा नोट

Paper Currency Act, 1882 - धारा 9

कहती है-

नोट जारी करने के बदले सोना/चाँदी का भंडार होना चाहिए।

आज की स्थिति-

- RBI के पास सोना ≈ 880 टन
- कुल नोट प्रचलन ≈ ₹35 लाख करोड़

यानी-

- लगभग 10–12% बैकिंग
- 88–90% कागज़ बिना आधार

आम भाषा में:

100 का वादा, 10 की जमा-

धोखा।

5. लीगल टेंडर है, पर क्रय-शक्ति कहाँ?

RBI Act - धारा 26
नोट को लीगल टेंडर बनाती है-
यानी लेना मजबूरी।
पर प्रॉमिसरी नोट का अर्थ क्या है?
Negotiable Instruments Act, 1881 - धारा 4
कहती है-
वचन "on demand" पूरा होना चाहिए।
हकीकत-

- 1971 से क्रय-शक्ति 90%+ घटी।
- वचन कागज़ पर है,
- पेट खाली है।

आम भाषा में:
खाली थाली में
लीगल टेंडर रख दो-
क्या पेट भरेगा?

निष्कर्ष - सच्चाई साफ़ है

- फिएट नोट मूल्य नहीं, वचन नहीं, सुरक्षा नहीं।
- यह एकतरफ़ा थोपा गया धोखा है।
- यह मेहनत और उत्पादन की हत्या है।

इसे सच के तराज़ू पर रखो-
यह जहर है।

अब रास्ता क्या है?

- गाँव रुपया अपनाओ।
- 1882 एक्ट को जगाओ।
- RBI और व्यवस्था को चुनौती दो- कानून से।

अगले अध्याय में हम देखेंगे- लूट की पूरी सुनियोजित व्यवस्था और उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता

तुम तैयार हो न ?

तो पन्ना पलटो।

और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।

जय गाँव।

जय स्वर्णिम भारत।

जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय - 8
गांव बोल रहा है

लूट की पूरी सुनियोजित व्यवस्था और उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता

भाई-बहनो,

अब तक इस किताब में हमने लूट की व्यवस्था को पहचाना-

कभी बैंक के रूप में,
कभी कर्ज के रूप में,
कभी फिएट मुद्रा के रूप में।
लेकिन आज यह समझना जरूरी है कि
यह लूट अकेले बैंक या रुपए तक सीमित नहीं है।
यह एक पूरी तरह सुनियोजित, व्यवस्थागत और बहु-स्तरीय लूट है,
जिसका केंद्र है - गाँव को तोड़ना और मनुष्य को परावलंबी बनाना।
आज मैं, तुम्हारा गाँव,
खुद तुम्हें यह सच्चाई बताने आया हूँ।

लूट सिर्फ पैसे की नहीं, जीवन की है

अगर लूट सिर्फ पैसों की होती,
तो शायद उसे किसी दिन चुकाया जा सकता था।

लेकिन आज की लूट है -

- शिक्षा की लूट
  जहाँ ज्ञान नहीं, नौकरी की गुलामी सिखाई जाती है।
- चिकित्सा की लूट
  जहाँ स्वास्थ्य नहीं, बीमारी का व्यापार होता है।
- न्याय की लूट
  जहाँ सत्य नहीं, तारीखें और फीस बिकती हैं।

- राजनीति की लूट
  जहाँ सेवा नहीं, सत्ता और वोट का सौदा होता है।
- खेती की लूट
  जहाँ किसान अन्नदाता नहीं, कर्जदार बना दिया गया है।
- धर्म की लूट
  जहाँ आत्मशुद्धि नहीं, भय और पाखंड बेचा जाता है।

और इन सबके केंद्र में है -
फिएट मुद्रा और बैंकिंग के माध्यम से किया गया मूल्य का कूटकरण।

बैंकिंग और फिएट मुद्राः लूट की धुरी

आज तुम्हें जो "रुपया" दिया जा रहा है,
वह न खेत से जुड़ा है,
न श्रम से,
न पशु से,
न प्रकृति से।

वह केवल -
संख्या (डिजिटल अंक) है।
जब मूल्य का कोई वास्तविक आधार नहीं होता,
तो वही मुद्रा -

- महँगाई पैदा करती है
- कर्ज को अनंत बनाती है
- संपत्ति को कुछ हाथों में समेटती है
- और बहुसंख्यक को गुलाम बनाती है

यही कारण है कि
आज खेती घाटे का सौदा,
शिक्षा बोझ,
इलाज असंभव,
और न्याय विलासिता बन चुका है।

यह संयोग नहीं है।

यह व्यवस्था का उद्देश्य है।

गाँव क्यों तोड़ा गया ?

क्योंकि गाँव के पास वह सब था
जिससे मनुष्य स्वतंत्र रह सकता था -

- जल - जीवन का मूल
- जंगल - संतुलन का आधार
- जमीन - उत्पादन का साधन
- जानवर - अर्थ और करुणा का सेतु
  गाँव के पास था -
- रोटी
- बेटी
- माटी
- और अपनी सामाजिक व्यवस्था -
  खेत, खेड़ा, खाप और भाईचारा

जब तक यह सब जीवित था,
तब तक न बैंक की जरूरत थी,
न बीमा की,
न कॉरपोरेट की,
न वैश्विक बाजार की।

इसलिए गाँव को तोड़ना
लूट की व्यवस्था की पहली शर्त थी।

शहर क्यों फैलाए गए ?

शहरों में -

- मनुष्य अकेला होता है
- प्रकृति से कटा होता है
- उत्पादन नहीं, उपभोग करता है
- और हर जरूरत के लिए बाजार पर निर्भर होता है

यह निर्भरता ही
लूट की सबसे बड़ी ताकत है।
जब आदमी -

- अपनी रोटी नहीं उगाता
- अपनी दवा नहीं बनाता
- अपना न्याय नहीं करता
- अपनी शिक्षा नहीं तय करता

तो वह नागरिक नहीं,
ग्राहक और गुलाम बन जाता है।

बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता

भाई-बहनो,
इस पूरी व्यवस्था से बाहर निकलने का
कोई शॉर्टकट नहीं है।

एक ही रास्ता है -
गाँव आधारित,
जल-जंगल-जमीन-जानवर आधारित,
स्वावलंबी,
स्वनियंत्रित और
स्वसंचालित व्यवस्था।
जहाँ -

- रोटी स्थानीय हो
- बेटी सुरक्षित और सम्मानित हो
- माटी जीवित हो
- खेती प्रकृति के साथ हो
- शिक्षा जीवन से जुड़ी हो
- चिकित्सा जड़ी-बूटी और संतुलन पर आधारित हो
- न्याय ग्रामसभा से शुरू हो
- और मुद्रा श्रम व उत्पादन से जुड़ी हो

यह पिछड़ापन नहीं, भविष्य है

जो लोग इसे
"पुरानी सोच" या "पिछड़ापन" कहते हैं,
वे भूल जाते हैं कि -
जो व्यवस्था हजारों वर्षों तक चली,
वह अज्ञान नहीं हो सकती।
अज्ञान वह व्यवस्था है
जो कुछ दशकों में ही
मानवता को संकट में डाल दे।
आज दुनिया फिर से -
स्थानीयता,
स्वावलंबन
और सामुदायिक जीवन की ओर लौट रही है।
गाँव इसका सबसे परिपक्व मॉडल है।

निष्कर्ष - गाँव बचेगा तो भारत बचेगा

भाई-बहनो,
मैं, तुम्हारा गाँव,
आज तुमसे कोई भीख नहीं माँग रहा।
मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ -
मुझे फिर से जीने दो,
ताकि तुम भी फिर से मनुष्य बन सको।

अगर -

- गाँव स्वावलंबी होगा
- तो बैंक अप्रासंगिक हो जाएँगे, एकदम महत्वहिन
- फिएट मुद्रा कमजोर पड़ेगी
- और लूट की व्यवस्था अपने-आप ढह जाएगी

यही उलगुलान है -
न हिंसा से,
न नफरत से,
बल्कि जीवन की नई व्यवस्था खड़ी करके।

तुम तैयार हो न?   तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँचा करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय रोटी-बेटी-माटी।
जय लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग-चार

भाग–चार वह निर्णायक चरण है जहाँ "उलगुलान" एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि गाँव-आधारित अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संघर्ष और स्वराज की सजीव, व्यावहारिक और चरणबद्ध कार्ययोजना बनकर खड़ा हो जाता है।

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान का मार्ग यह है कि गाँव को उत्पादन का केंद्र बनाकर, ग्राम सभा की सर्वोच्चता स्थापित कर, कर्ज-ब्याज और शोषणकारी मुद्रा व्यवस्था से मुक्ति लेकर, सामाजिक जागरण और कानूनी-संवैधानिक संघर्ष के माध्यम से स्वावलंबी और न्यायपूर्ण भारत की स्थापना की जाए।"

अध्याय – 9
उलगुलान का अर्थशास्त्र

लूट की व्यवस्था से जीवन की व्यवस्था तक

भाई–बहनो,

अब तक हमने इस पुस्तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण सच्चा समझ लिया है।

हमारी गरीबी प्राकृतिक नहीं है।

हमारी बदहाली हमारे परिश्रम की कमी का परिणाम नहीं है।

और हमारा कर्ज़ केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं है।

यह सब एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जिसे इस तरह बनाया गया है

- जो उत्पादन करे वह कमजोर होता जाए
- और जो व्यवस्था चलाए वह शक्तिशाली होता जाए।

किसान अन्न उगाता है, फिर भी कर्ज़ में डूबा रहता है।

गाँव जीवन पैदा करता है, फिर भी निर्धन कहलाता है।

और शहर बिना उत्पादन किए भी धन का केंद्र बन जाता है।

यह कोई दुर्घटना नहीं है।

यह एक सुनियोजित आर्थिक ढाँचा है।

इस व्यवस्था की जड़ में तीन बातें हैं-

1. कागज़ी मुद्रा
2. ब्याज आधारित कर्ज़
3. बाहरी निर्भरता

जब पैसा वास्तविक श्रम से अलग हो जाता है,

जब ब्याज श्रम से अधिक मूल्य पैदा करने लगता है,

और जब समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर पर निर्भर हो जात

तब शोषण की व्यवस्था जन्म लेती है।

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग-चार

भाग–चार वह निर्णायक चरण है जहाँ "उलगुलान" एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि गाँव-आधारित अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संघर्ष और स्वराज की सजीव, व्यावहारिक और चरणबद्ध कार्ययोजना बनकर खड़ा हो जाता है।

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान का मार्ग यह है कि गाँव को उत्पादन का केंद्र बनाकर, ग्राम सभा की सर्वोच्चता स्थापित कर, कर्ज-ब्याज और शोषणकारी मुद्रा व्यवस्था से मुक्ति लेकर, सामाजिक जागरण और कानूनी-संवैधानिक संघर्ष के माध्यम से स्वावलंबी और न्यायपूर्ण भारत की स्थापना की जाए।"

अध्याय - 9
उलगुलान का अर्थशास्त्र

लूट की व्यवस्था से जीवन की व्यवस्था तक

भाई–बहनो,

अब तक हमने इस पुस्तक की यात्रा में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को समझ लिया है।

हमारी गरीबी प्राकृतिक नहीं है।

हमारी बदहाली हमारे परिश्रम की कमी का परिणाम नहीं है।

और हमारा कर्ज़ केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं है।

यह सब एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जिसे इस तरह बनाया गया है कि-

- जो उत्पादन करे वह कमजोर होता जाए
- और जो व्यवस्था चलाए वह शक्तिशाली होता जाए।

किसान अन्न उगाता है, फिर भी कर्ज़ में डूबा रहता है।
गाँव जीवन पैदा करता है, फिर भी निर्धन कहलाता है।
और शहर बिना उत्पादन किए भी धन का केंद्र बन जाता है।
यह कोई दुर्घटना नहीं है।
यह एक सुनियोजित आर्थिक ढाँचा है।
इस व्यवस्था की जड़ में तीन बातें हैं-

1. कागज़ी मुद्रा
2. ब्याज आधारित कर्ज़
3. बाहरी निर्भरता

जब पैसा वास्तविक श्रम से अलग हो जाता है,
जब ब्याज श्रम से अधिक मूल्य पैदा करने लगता है,
और जब समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर पर निर्भर हो जाता है-
तब शोषण की व्यवस्था जन्म लेती है।

इसी व्यवस्था को इस पुस्तक में हमने लूट की व्यवस्था कहा है।

लेकिन केवल यह समझ लेना कि व्यवस्था अन्यायी है - पर्याप्त नहीं है।
प्रश्न यह है कि-

इसका विकल्प क्या है ?
यही प्रश्न हमें उलगुलान की ओर ले जाता है।
उलगुलान का अर्थ केवल विरोध नहीं है।

उलगुलान का अर्थ है-

अन्यायी व्यवस्था को अप्रासंगिक बना देना
और उसकी जगह जीवन की न्यायपूर्ण व्यवस्था खड़ी कर देना।
और यह नई व्यवस्था कहाँ से शुरू होगी ?
राजधानी से नहीं।
नीतियों से नहीं।
किसी बड़े उद्योग से भी नहीं।

यह शुरू होगी-
गाँव से।

गाँव – जीवन की वास्तविक अर्थव्यवस्था

गाँव केवल रहने की जगह नहीं है।
गाँव समाज की मूल इकाई है।
यहीं से जीवन की वास्तविक अर्थव्यवस्था जन्म लेती है।

- खेत अन्न देते हैं
- पशु पोषण और ऊर्जा देते हैं
- जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं
- जल स्रोत जीवन की निरंतरता बनाए रखते हैं

इसलिए नई व्यवस्था का पहला सिद्धांत है-

गाँव उत्पादन का केंद्र होगा।
जब गाँव उत्पादन का केंद्र बनता है
तब समाज आत्मनिर्भर होता है।

जब गाँव केवल उपभोग का स्थान बन जाता है
तब समाज निर्भर हो जाता है।

ग्राम जीवन के पाँच आधार

स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था पाँच मूल आधारों पर खड़ी होगी-

1. कृषि
2. पशुपालन
3. जल संचय और जल प्रबंधन
4. जंगल और जैव विविधता का संरक्षण
5. स्थानीय संसाधनों का संवर्धन

ये पाँच आधार केवल आर्थिक नहीं हैं।
ये जीवन के संतुलन के आधार हैं।
जब खेत, पशु, जल, जंगल और मनुष्य का श्रम
एक संतुलित चक्र में काम करते हैं
तब समाज समृद्ध भी होता है और सुरक्षित भी।

ग्राम समाज की सेवा व्यवस्था

समाज में कुछ कार्य ऐसे होते हैं
जिन्हें बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।
जैसे-

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- न्याय
- समाज संचालन
- धर्म और नैतिक मार्गदर्शन

ये केवल सेवाएँ नहीं हैं।
ये समाज की आत्मा हैं।
यदि इन्हें बाजार में बेचने योग्य वस्तु बना दिया जाए
तो समाज धीरे-धीरे दूर हो जाता है।
इसलिए ग्राम व्यवस्था में इन सेवाओं को व्यापार से अलग रखा जाएगा

इन कार्यों को करने वाले लोग होंगे-

ग्राम समाज के सेवक।

ये सेवक वेतन पर काम नहीं करेंगे।

समाज उन्हें देगा-

- सम्मान
- सुरक्षा
- जीवन की आवश्यक वस्तुएँ

इसे कहा जाएगा-

पारितोषिक।

ऐसे लगभग तेरह ग्राम समाज सेवक

गाँव की विभिन्न आवश्यक सेवाओं को संभालेंगे।

उत्पादन का उद्देश्य

आज की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है-

लाभ।

लेकिन जीवन की वास्तविक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है-

सुरक्षा।

इसलिए ग्राम व्यवस्था में उत्पादन का क्रम अलग होगा।

पहला चरण

हर परिवार अपनी आवश्यक जरूरत पूरी करेगा।

दूसरा चरण

ग्राम समाज सामूहिक सुरक्षा के लिए

कम से कम दो वर्ष का भंडार बनाएगा।

तीसरा चरण

जब परिवार और समाज की जरूरत पूरी हो जाएगी

तब जो अतिरिक्त उत्पादन बचेगा वही होगा-

सरप्लस (अधिशेष)।

सरप्लस का सही उपयोग

आज की अर्थव्यवस्था में सरप्लस का मतलब है-
बाजार।
लेकिन ग्राम व्यवस्था में सरप्लस का पहला उपयोग होगा-
मूल्य संवर्धन।
इसके लिए गाँव में विकसित होंगी-
६४ से ७२ प्रकार की कला और शिल्प।
जैसे-

- खाद्य प्रसंस्करण
- हस्तशिल्प
- वस्त्र निर्माण
- औषधीय उत्पादन
- कृषि आधारित उद्योग

इन कलाओं का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है।
इनका उद्देश्य है-
गाँव के हर व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार देना।
यही वास्तविक शिक्षा होगी।

बाजार का स्थान

ग्राम व्यवस्था बाजार का विरोध नहीं करती।
लेकिन बाजार का स्थान स्पष्ट करती है।
बाजार समाज का सेवक होगा
मालिक नहीं।
इसलिए-

- कीमत गाँव तय करेगा
- व्यापार की सीमा गाँव तय करेगा

समाज बाजार को नियंत्रित करेगा
बाजार समाज को नहीं।

मुद्रा का सिध्दांत

व्यापार के लिए मुद्रा की आवश्यकता हो सकती है।

लेकिन मुद्रा के लिए स्पष्ट नियम होंगे।
मुद्रा-

- स्थिर हो
- विश्वसनीय हो
- वास्तविक मूल्य पर आधारित हो
- सर्वमान्य हो

मुद्रा के रूप हो सकते हैं-

- टोकन
- प्रमाण पत्र
- वस्तु आधारित

लेकिन मुद्रा केवल सुविधा होगी।
मुद्रा शोषण का साधन नहीं बनेगी।

मुद्रा की मर्यादा

कुछ चीजें ऐसी हैं
जो किसी भी स्थिति में
मुद्रा के लेन-देन से बाहर रहेंगी।

जैसे-

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- न्याय
- धर्म
- स्त्री
- जल
- जंगल
- जमीन
- जानवर

ये समाज की धरोहर हैं।
इनका व्यापार नहीं होगा।

ब्याज और कर्ज का प्रश्न

आज की पूरी आर्थिक व्यवस्था
ब्याज और कर्ज पर खड़ी है।
लेकिन ब्याज और कर्ज
समाज को धीरे-धीरे गुलाम बना देते हैं।

क्योंकि-

- ब्याज श्रम से अधिक तेजी से बढ़ता है
- कर्ज व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है

इसलिए ग्राम व्यवस्था में-

- ब्याज लेना अपराध होगा
- ब्याज देना अपराध होगा

मुद्रा से लाभ कमाना भी
समाज और प्रकृति के विरुद्ध माना जाएगा।

अब सबसे बड़ा प्रश्न

यहाँ तक आते-आते एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है।
अगर ग्राम व्यवस्था इतनी स्पष्ट है
तो इसे लागू कौन करेगा?
कौन तय करेगा-

- उत्पादन की दिशा
- संसाधनों का उपयोग
- सामाजिक नियम
- और कर्ज तथा मुद्रा से जुड़े निर्णय?

क्या यह काम सरकार करेगी?
क्या यह काम अदालत करेगी?
या यह अधिकार स्वयं समाज के पास होगा?
यहीं से हम पहुँचते हैं
इस पूरी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पर
ग्राम सभा।

अगले अध्याय में हम समझेंगे कि-

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध "उलगुलान"

ग्राम सभा क्या है,
क्यों वह समाज की वास्तविक संप्रभुता है,
और क़ैसे वही इस नई व्यवस्था की नींव बनती है।
यहीं से शुरू होती है
उलगुलान की कानूनी और सामाजिक जंग।

निष्कर्ष – अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं

अब हम पूरी तरह
"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान" के भीतर हैं।
अब रास्ता एक ही है-
उलगुलान का रास्ता।
तो पन्ना पलटो।
क्योंकि आगे लड़ाई
और भी स्पष्ट,
और भी निर्णायक होने वाली है।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय उलगुलान।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय – 10
ग्राम सभा की शक्ति और कानूनी संघर्ष

समाज की वास्तविक संप्रभुता

भाई–बहनो,

पिछले अध्याय में हमने समझा कि
लूट की व्यवस्था का विकल्प क्या हो सकता है।

हमने देखा कि-

- गाँव उत्पादन का केंद्र हो सकता है
- समाज अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकता है
- और सहयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था संभव है।

लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है।
यदि यह नई व्यवस्था बननी है
तो उसका निर्णय कौन करेगा ?
कौन तय करेगा-

- उत्पादन की दिशा क्या होगी
- संसाधनों का उपयोग कैसे होगा
- मुद्रा का स्वरूप क्या होगा
- और कर्ज जैसी व्यवस्थाओं का स्थान क्या होगा ?

क्या यह निर्णय संसद करेगी ?
क्या यह निर्णय अदालत करेगी ?
या यह निर्णय स्वयं समाज करेगा ?

यहीं से हम पहुँचते हैं
इस पूरे प्रश्न के मूल में-
ग्राम सभा।

लोकतंत्र का वास्तविक रूप

हम बार-बार सुनते हैं-
"हम भारत के लोग।"
लेकिन यह वाक्य केवल संविधान की प्रस्तावना नहीं है।
यह भारत की संप्रभुता का आधार है।

प्रश्न यह है कि-

"हम भारत के लोग" का वास्तविक रूप क्या है ?
क्या यह केवल चुनाव के दिन दिखाई देता है ?
क्या यह केवल संसद में बैठता है ?
या यह हमारे गाँवों में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में मौजूद है ?
सच यह है कि

भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का सबसे जीवंत रूप है-

ग्राम सभा।
ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ
समाज स्वयं अपने विषयों पर विचार करता है और निर्णय लेता है।
यही वास्तविक लोकतंत्र है।

ग्राम सभा क्यों सर्वोच्च है

लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था एक सिद्धांत पर खड़ी है-

सत्ता जनता से आती है।
संसद की शक्ति जनता से आती है।
सरकार की शक्ति जनता से आती है।
अदालत की शक्ति भी जनता से आती है।
लेकिन जनता की वास्तविक इकाई क्या है ?

वह है-

ग्राम सभा।

इसलिए एक मूल सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है-

संसद ग्राम सभा से शक्ति प्राप्त करती है,
ग्राम सभा संसद से नहीं।

सरकार ग्राम सभा से शक्ति प्राप्त करती है,
ग्राम सभा सरकार से नहीं।
अदालत ग्राम सभा से शक्ति प्राप्त करती है,
ग्राम सभा अदालत से नहीं।
इसलिए ग्राम सभा किसी भी संस्था से पहले है।

समाज और व्यवस्था का संबंध

आज स्थिति उलटी हो गई है।
समाज व्यवस्था का सेवक बन गया है।

जबकि वास्तविक व्यवस्था यह होनी चाहिए कि-
व्यवस्था समाज की सेवक हो।
कानून समाज की रक्षा के लिए होते हैं।
वे समाज पर शासन करने के लिए नहीं होते।
लेकिन जब कानून समाज से कट जाते हैं
तब वे न्याय का साधन नहीं
बल्कि नियंत्रण का साधन बन जाते हैं।
इसीलिए आवश्यक है कि समाज
अपने अधिकार को पहचाने।

कर्ज का प्रश्न

आज दुनिया की पूरी आर्थिक व्यवस्था
कर्ज पर खड़ी है।
व्यक्ति कर्ज में है।
किसान कर्ज में है।
देश भी कर्ज में हैं।

लेकिन एक प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता-
क्या कर्ज वास्तव में न्यायपूर्ण व्यवस्था है?
जब कर्ज बढ़ता है
तो व्यक्ति की स्वतंत्रता घटती है।

जब कर्ज बढ़ता है
तो समाज निर्भर होता जाता है।
और जब कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है
तो शोषण स्थायी हो जाता है।

इसीलिए ग्राम व्यवस्था का एक मूल निर्णय होगा-
कर्ज लेना और देना
समाज, प्रकृति और न्याय के विरुद्ध है।

इसलिए ग्राम सभा घोषणा करेगी-
कर्ज को

- भूतकाल
- वर्तमान
- भविष्य

तीनों के लिए अमान्य घोषित किया जाता है।

कर्ज पर निर्णय का अधिकार

कर्ज से जुड़े प्रश्न केवल आर्थिक नहीं हैं।
ये प्रश्न जुड़े हैं-

- श्रम से
- जीवन से
- स्वतंत्रता से

इसलिए इनका निर्णय
किसी बाहरी संस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता।
कर्ज से संबंधित विषय-

- व्यक्ति
- कानून
- व्यवस्था
- प्रस्ताव

इन सब पर अंतिम निर्णय का अधिकार होगा-
ग्राम सभा के पास।

ग्राम सभा के विषय

कुछ विषय ऐसे हैं
जो पूरी तरह समाज के अधिकार में होने चाहिए।
जैसे-

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- न्याय
- धर्म
- स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग
- जल
- जंगल
- जमीन
- जानवर
- मुद्रा

ये जीवन के आधार हैं।
इनका निर्णय बाजार या सत्ता नहीं करेगी।
इनका निर्णय करेगा-
समाज।
और समाज का संगठित रूप है-
ग्राम सभा।

कानूनी संघर्ष क्यों आवश्यक है

लेकिन केवल घोषणा कर देने से व्यवस्था नहीं बदलती।
क्योंकि वर्तमान व्यवस्था-

- कानूनों से संरक्षित है
- संस्थाओं से संचालित है

- और लंबे समय से स्थापित है।

इसलिए परिवर्तन के लिए दो चीजें आवश्यक हैं-

1. सामाजिक जागरण
2. कानूनी संघर्ष

सामाजिक जागरण से समाज अपनी शक्ति पहचानता है।
कानूनी संघर्ष से
व्यवस्था को चुनौती दी जाती है।
जब समाज संगठित होकर
न्यायपूर्ण प्रश्न पूछता है
तो व्यवस्था को उत्तर देना पड़ता है।

संघर्ष का स्वरूप

यह संघर्ष हिंसा का नहीं होगा।
यह संघर्ष होगा-

- सत्य का
- तर्क का
- और सामूहिक संकल्प का।

जब लाखों लोग
एक ही प्रश्न पूछते हैं-

"क्या यह व्यवस्था न्यायपूर्ण है?"
तब सबसे बड़ी व्यवस्था भी
हिलने लगती है।

उलगुलान की असली शुरुआत

यहीं से उलगुलान का दूसरा चरण शुरू होता है।
पहला चरण था-
समझ।

दूसरा चरण है-
संगठन और संघर्ष।

ग्राम सभा जब जागती है
तो समाज की शक्ति जागती है।
और जब समाज की शक्ति जागती है
तो इतिहास बदलता है।

आगे क्या होगा

अब प्रश्न यह नहीं है कि
यह व्यवस्था गलत है या सही।

प्रश्न यह है कि-

जब समाज अपनी शक्ति पहचान लेगा
तो जीवन कैसा होगा?
जब गाँव अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने लगेंगे
तो भारत कैसा दिखेगा?
जब कर्ज की जगह सहयोग होगा
और निर्भरता की जगह स्वावलंबन होगा
तब समाज का स्वरूप कैसा होगा?

इसी प्रश्न का उत्तर है-

अगला अध्याय।
क्योंकि अब समय आ गया है-
गाँव के रोने का नहीं,
गाँव के जीतने का।
तो पन्ना पलटो।
यह अध्याय यहीं पूरा होता है।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय उलगुलान।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय – 11
जब गाँव जीतेगा

स्वावलंबी भारत की नई तस्वीर

भाई–बहनो,

हम इस यात्रा के उस मोड़ पर पहुँच चुके हैं
जहाँ प्रश्न बदल जाता है।
अब प्रश्न यह नहीं है कि
लूट की व्यवस्था कैसे काम करती है।
अब प्रश्न यह भी नहीं है कि
उसके विरुद्ध संघर्ष कैसे होगा।

अब प्रश्न यह है-

जब गाँव जीत जाएगा तो जीवन कैसा होगा ?
क्योंकि किसी भी आंदोलन की अंतिम कसौटी
केवल विरोध नहीं होती।

उसकी अंतिम कसौटी होती है-

वह नया जीवन कैसा बनाता है।
उलगुलान का लक्ष्य केवल
पुरानी व्यवस्था को गिराना नहीं है।

उलगुलान का लक्ष्य है-

जीवन की संतुलित व्यवस्था को पुनः स्थापित करना।
और जब यह व्यवस्था स्थापित होगी
तो परिवर्तन केवल अर्थव्यवस्था में नहीं होगा।
परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा।

गाँव का बदलता जीवन

सबसे पहले परिवर्तन दिखाई देगा-

गाँव के वातावरण में।
जहाँ आज चिंता और अनिश्चितता है
वहाँ फिर से जीवन का विश्वास लौटेगा।
खेत केवल उत्पादन का स्थान नहीं रहेंगे।
वे फिर से जीवन का आधार बनेंगे।
किसान अब कर्ज़ में दबा हुआ मजदूर नहीं होगा।
वह अपने खेत का
सम्मानित संरक्षक होगा।
खेतों में विविधता लौटेगी।
एक ही फसल की मजबूरी खत्म होगी।

- अन्न
- दाल
- तिलहन
- सब्जियाँ
- फल

सब मिलकर
जीवन का संतुलित चक्र बनाएँगे।

पशुधन और ऊर्जा

ग्राम जीवन का दूसरा आधार होगा-

पशुधन।
जहाँ आज पशु केवल बोझ समझे जाते हैं
वहाँ वे फिर से समृद्धि का स्रोत बनेंगे।

पशु देंगे-

- दूध
- खाद
- ऊर्जा
- कृषि की शक्ति

गोबर से-

- खाद बनेगी
- ऊर्जा बनेगी
- और मिट्टी की उर्वरता लौटेगी।

गाँव की ऊर्जा व्यवस्था
धीरे-धीरे स्वावलंबी होने लगेगी।

जल और जंगल का पुनर्जन्म

जल और जंगल
ग्राम जीवन की आत्मा हैं।
जब समाज अपनी व्यवस्था स्वयं संभालेगा
तो सबसे पहले वह अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा।

गाँवों में फिर से-

- तालाब बनेंगे
- वर्षा जल का संचय होगा
- नालों और नदियों का संरक्षण होगा

पेड़ कटने की जगह
पेड़ लगाने की परंपरा लौटेगी।
जंगल फिर से जीवित होंगे।
और जब जंगल जीवित होंगे
तो प्रकृति का संतुलन भी लौटेगा।

रोजगार का नया स्वरूप

आज की व्यवस्था में रोजगार का अर्थ है-
गाँव छोड़कर शहर जाना।
लेकिन जब ग्राम अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
तो रोजगार का अर्थ बदल जाएगा।
गाँव में ही विकसित होंगी-
६४ से ७२ प्रकार की कला और शिल्प।
जैसे-

- हस्तशिल्प

- वस्त्र निर्माण
- खाद्य प्रसंस्करण
- कृषि आधारित उद्योग
- औषधीय उत्पादन

इनसे गाँव का हर व्यक्ति
सम्मानजनक काम कर सकेगा।
रोजगार केवल जीविका नहीं होगा।
वह रचनात्मक जीवन का माध्यम बनेगा।

शिक्षा का नया अर्थ

आज शिक्षा का अर्थ बन गया है-
नौकरी।
लेकिन स्वावलंबी समाज में शिक्षा का अर्थ होगा-
जीवन की समझ।
बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखेंगे।
वे सीखेंगे-

- खेत से
- शिल्प से
- प्रकृति से
- समाज से

शिक्षा उन्हें केवल जीविका नहीं देगी।
शिक्षा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाएगी।

स्वास्थ्य की नई दिशा

स्वास्थ्य केवल अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहेगा।
गाँव में विकसित होगा-

- आयुर्वेद
- प्राकृतिक चिकित्सा
- स्थानीय औषधियाँ

जब भोजन शुद्ध होगा
जब पानी स्वच्छ होगा
जब जीवन संतुलित होगा
तो बीमारी भी कम होगी।

न्याय का स्वरूप

न्याय की प्रक्रिया भी बदल जाएगी।
छोटे-छोटे विवाद
वर्षों तक अदालतों में नहीं घूमेंगे।
ग्राम सभा और समाज
मिलकर उनका समाधान करेंगे।
न्याय केवल कानून का विषय नहीं रहेगा।
वह समाज की समझ और संतुलन का विषय बनेगा।

समाज का नया स्वरूप

सबसे बड़ा परिवर्तन होगा-

समाज के संबंधों में।
आज समाज बिखर रहा है।
व्यक्ति अकेला होता जा रहा है।
लेकिन स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था में
समाज फिर से परिवार जैसा बनेगा।
लोग एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे।
वे सहयोगी होंगे।

नया भारत

जब हजारों गाँव
इस दिशा में आगे बढ़ेंगे
तो केवल गाँव नहीं बदलेंगे।
पूरा भारत बदल जाएगा।

भारत फिर से-

- आत्मनिर्भर होगा
- संतुलित होगा
- और सम्मानित होगा।

दुनिया भारत को
केवल बाजार की तरह नहीं देखेगी।
वह भारत को
एक जीवन दृष्टि की तरह देखेगी।

दुनिया का प्रश्न

और जब दुनिया पूछेगी-
"यह परिवर्तन कैसे हुआ?"
तो उत्तर बहुत सरल होगा।

हम कहेंगे-
हमने कोई चमत्कार नहीं किया।
हमने केवल-

- अपना गाँव वापस लिया
- अपना श्रम वापस लिया
- अपना जीवन वापस लिया।

अंतिम आह्वान

यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है।
यह एक आह्वान है।
आज रात-

- चौपाल सजाओ
- गाँव के लोग इकट्ठा करो
- और एक संकल्प लो-

हम अपना गाँव वापस लेंगे।
हम अपना श्रम वापस लेंगे।
हम अपना भारत वापस लेंगे।

क्योंकि जब गाँव जागता है
तो इतिहास बदलता है।
और अब समय आ गया है-
इतिहास फिर से लिखने का।
आज रात-

- चौपाल सजाओ।
- दीया जलाओ।
- गाँव के लोग इकट्ठा करो।

और एक ही संकल्प लो-
तीन सौ साल पहले हम सोने की चिड़िया थे।
इस बार-
हम सोने का शेर होंगे।
लेकिन तुम्हारी कानूनी और संवैधानिक जंग अभी बाकी है।
तुम तैयार हो
तो पन्ना पलटो

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय - 12
कानूनी और संवैधानिक जंग

कैसे लड़ें, क्या कहें, कहाँ लड़ें

भाई–बहनो,

अब तक की यात्रा में हमने दो महत्त्वपूर्ण बातें समझ ली हैं।

पहली -

यह कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है।
यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैसा श्रम से अलग हो चुका है
और कर्ज़ जीवन पर शासन करने लगा है।

दूसरी -

यह कि इसका विकल्प केवल विरोध नहीं है।
विकल्प है स्वावलंबी ग्राम व्यवस्था, जहाँ समाज अपने उत्पादन,
संसाधन और जीवन की दिशा स्वयं तय करता है।
पिछले अध्यायों में हमने देखा कि
कैसे गाँव अपनी शक्ति पहचान सकता है,
कैसे ग्राम सभा समाज की वास्तविक संप्रभुता बन सकती है,
और कैसे सहयोग पर आधारित जीवन व्यवस्था संभव है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य को समझना आवश्यक है।
नई व्यवस्था केवल चौपाल में चर्चा से नहीं बनेगी।
क्योंकि जिस व्यवस्था ने हमें कर्ज़ और निर्भरता में बाँधा है,
वह केवल आर्थिक नहीं है।
वह संरक्षित है-
कानूनों से
संस्थाओं से
और सरकार की शक्ति से।

इसलिए उलगुलान का अगला चरण केवल सामाजिक नहीं होगा।
अब यह होगा- कानूनी और संवैधानिक उलगुलान।

यह लड़ाई किसके विरुद्ध है
इस लड़ाई को सही रूप में समझना बहुत जरूरी है।
यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है।
यह लड़ाई है-
बैंकिंग व्यवस्था के खिलाफ
कागज़ी मुद्रा प्रणाली के खिलाफ
और उस आर्थिक ढाँचे के खिलाफ
जिसने समाज को स्थायी कर्ज़ में धकेल दिया है।
लेकिन ध्यान रहे-
हम कर्ज़ चुकाने से मना नहीं कर रहे।

हम केवल एक सरल और न्यायपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं-

"तुमने मुझे क्या दिया था
और मैं क्या चुका रहा हूँ ?"
अगर किसी अनुबंध में कहा गया था कि
मुद्रा एक स्थिर मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगी,

तो यह जानना हमारा अधिकार है कि-

क्या हमें वास्तव में वह मूल्य मिला था ?
यह प्रश्न केवल आर्थिक नहीं है।
यह संवैधानिक अधिकार का प्रश्न है।
गाँव से अदालत तक
इस लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
यह केवल बड़े वकीलों की लड़ाई नहीं होगी।
यह लड़ाई गाँव से शुरू होगी।
चौपाल में बैठा किसान भी
अपने अधिकार की भाषा बोल सकता है।
और उसके हाथ में सबसे पहला हथियार है-
सूचना।

पहला हथियार - सूचना का अधिकार (RTI)

सबसे पहले हर कर्ज़दार
अपने बैंक और RBI दोनों को RTI भेजे।
RTI में स्पष्ट प्रश्न पूछे जाएँ।

उदाहरण के लिए:

• मेरे ऋण अनुबंध में "उत्पादक संपत्ति" देने का वादा था।
क्या मुझे सोना, चाँदी या कोई स्थिर मूल्य दिया गया?

• Indian Paper Currency Act, 1882 की धारा 9 और 11
क्या आज भी लागू हैं?
यदि नहीं, तो किस कानून से उन्हें रद्द किया गया?

(महत्वपूर्ण तथ्यः यह अधिनियम औपचारिक रूप से कभी समाप्त नहीं किया गया।)

• RBI के पास कुल कितना स्वर्ण भंडार है?
जारी नोटों के मुकाबले उसका अनुपात कितना है?

• Fractional Reserve Banking की कानूनी वैधता किस कानून से आती है?

अधिकांश मामलों में बैंक
या तो गोल-मोल उत्तर देंगे
या उत्तर देने से बचेंगे।
लेकिन यही उत्तर
कोर्ट में सबसे बड़ा प्रमाण बनेंगे।
दूसरा हथियार - भारतीय संविधान

इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है- भारतीय संविधान।

संविधान केवल सरकार के लिए नहीं है।
वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए है।
इस संघर्ष में पाँच अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार

यदि आर्थिक व्यवस्था से अमीर और अमीर होता जाए
और गरीब लगातार कमजोर होता जाए

तो यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 19(1)(g) - व्यापार की स्वतंत्रता

अस्थिर मुद्रा और महँगाई
व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देती है।

अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार

जब महँगाई और कर्ज़
जीवन की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दें
तो यह जीवन के अधिकार का प्रश्न बन जाता है।

Maneka Gandhi बनाम Union of India (1978)

ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया।

अनुच्छेद 39(a)

संपत्ति और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण
राज्य का कर्तव्य है।
जब संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो
तो यह इस सिद्धांत के विरुद्ध है।

अनुच्छेद 300A - संपत्ति का अधिकार

व्यक्ति का श्रम और उसकी कमाई
उसकी संपत्ति है।
यदि उसकी क्रय-शक्ति को लगातार घटाया जाए
तो यह अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति का हरण है।
कोर्ट में यह स्पष्ट कहा जा सकता है-
यह केवल आर्थिक नीति नहीं है।
यह मौलिक अधिकारों का प्रश्न है।

तीसरा हथियार - प्राकृतिक न्याय

कानून से भी पहले एक सिद्धांत होता है-
प्राकृतिक न्याय।
प्रकृति में हर मापक स्थिर होता है।
1 किलो = 1000 ग्राम

1 मीटर = 1000 मिलीमीटर
1 घंटा = 60 मिनट
तो फिर मूल्य का मापक
(मुद्रा) अस्थिर क्यों है ?
यदि मापक ही बदलता रहे
तो न्याय कैसे होगा ?
अस्थिर मापक = अन्याय।
और यह भी याद रखना चाहिए-
प्राकृतिक न्याय कहता है:
बिना सुनवाई किसी पर निर्णय नहीं थोपा जा सकता।
लेकिन 1971 में
पूरी दुनिया को बिना जनसहमति के
फिएट मुद्रा व्यवस्था में धकेल दिया गया।
यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

चौथा हथियार - मौजूदा कानून

इस संघर्ष में कई पुराने कानून भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
Indian Paper Currency Act, 1882
इस कानून में स्पष्ट प्रावधान थे-

धारा 9

नोट जारी करने के बदले
सोना या चाँदी का भंडार आवश्यक।

धारा 11

नोट धारक मांग करे तो
सोना या चाँदी देने की व्यवस्था।

धारा 22

उल्लंघन पर दंड।
यद्यपि बाद में नई व्यवस्थाएँ आईं,
लेकिन यह ऐतिहासिक प्रश्न आज भी उठाया जा सकता है।

अन्य कानून

- Coinage Act, 1906
- RBI Act, 1934
- Banking Regulation Act, 1949

इन कानूनों के कई प्रावधान
आर्थिक जवाबदेही से जुड़े हैं।

पाँचवाँ हथियार - न्यायालय के फैसले

भारत के कई महत्वपूर्ण फैसले
नागरिक अधिकारों को मजबूत करते हैं।
उदाहरण के लिए-

- Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
- Justice K.S. Puttaswamy (2017)
- Internet Freedom Foundation v. RBI (2020)

ये फैसले बताते हैं कि
राज्य की शक्ति भी संविधान से ऊपर नहीं है।
संघर्ष का मार्ग
यह संघर्ष अचानक नहीं होगा।
यह चरणों में आगे बढ़ेगा।

पहला चरण - गाँव स्तर

RTI आवेदन
कानूनी जागरूकता
सामूहिक चर्चा

दूसरा चरण - उच्च न्यायालय

सामूहिक याचिकाएँ
जनहित याचिका (PIL)

तीसरा चरण - सर्वोच्च न्यायालय

राष्ट्रीय स्तर की चुनौती
मुख्य प्रश्न होगा-
क्या वर्तमान मुद्रा व्यवस्था

वास्तव में संविधान और प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है?

अंतिम बात

हम यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे।
हम लाखों की संख्या में खड़े होंगे।

हमारे पास-
बड़ी लॉबी नहीं होगी
महँगे वकील नहीं होंगे
लेकिन हमारे पास होगा-
सत्य।
और इतिहास गवाह है-
सत्य के सामने
सबसे बड़ी व्यवस्था भी टिक नहीं पाती।
अब यह पुस्तक एक नए चरण में प्रवेश करती है।
अब तक हमने समझा-
समस्या क्या है
और उसका विकल्प क्या है।
अब आगे हम देखेंगे-
सरकार, बैंक और वर्तमान आर्थिक ढाँचे के विरुद्ध
कानूनी और संवैधानिक उलगुलान कैसे खड़ा होगा।
इसी से शुरू होता है-
इस पुस्तक का अगला भाग।

जय हिंद
जय गाँव
जय उलगुलान
जय स्वर्णिम भारत
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग-पाँच

वह निर्णायक कानूनी शस्त्रागार है, जो मुद्रा के मानक, बैंकिंग प्रक्रियाओं, संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के आधार पर यह सिद्ध करता है कि बिना मानक और बिना सुनवाई की व्यवस्था में न कर्ज वैध है, न वसूली-और यहीं से उलगुलान न्याय में बदलता है।

तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही
SARFAESI Act, 2002 जैसा काला कानून बनाकर
भारतीय संविधान से मिले भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों
(fundamental right)
रोटी, कपड़ा और मकान
बैंकों के हाथों सौंप दिया।
यह कानून-

* संपत्ति जब्त करता है,
* मान–सम्मान तोड़ता है,
* और इंसान को आत्महत्या तक धकेल देता है।

अगर इसे रोकना है-
तो पन्ना पलटो।
अपने गाँव की आवाज़ को
सामूहिक रूप से और ऊँचा उठाओ।
एकजुट होकर लड़ो।

लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान-भाग-पाँचः न्याय में परिवर्तन
निर्णायक कानूनी शस्त्रागार
लूट की व्यवस्था
न्याय पंचायत
कर्ज
वसूली
बिना मानक, बिना सुनवाई
न्यायपूर्ण व्यवस्था
न कर्ज वैध है, न वसूली
वह निर्णायक कानूनी शस्त्रागार है, जो मुद्रा के मानक, बैंकिंग प्रक्रियाओं, संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के आधार पर यह सिद्ध करता है कि बिना मानक और बिना सुनवाई की व्यवस्था में न कर्ज वैध है, न वसूली—और यहीं से उलगुलान न्याय में बदलता है।

अध्याय–13

बैंकों के विरुद्ध SARFAESI Act, 2002

लड़ने और जीतने का आसान, वैधानिक तरीका

भाई–बहनो,

SARFAESI Act, 2002 एक ऐसा कानून है
जो देखने में बैंक को बहुत ताकत देता है।

बैंक कहता है-
"क़र्ज नहीं चुकाया,
तो घर–खेत बेच देंगे।
कोर्ट के बिना, सीधे नीलामी।"
यह सुनकर डर लगता है।
लेकिन एक बात साफ़ समझ लो-
यह कानून सिर्फ बैंक का हथियार नहीं है।
यह तुम्हारा कवच भी है।
बस इसे समझना है
और सही तरीके से इस्तेमाल करना है।

1. SARFAESI Act का असली मतलब क्या है ?

सीधी भाषा में समझो-

- बैंक ने तुम्हें कर्ज दिया।
- तुमने घर या खेत गिरवी रखा।
- कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक को
  वसूली का अधिकार दिया गया।

लेकिन कानून यह भी कहता है-

- वसूली निष्पक्ष होगी।
- उधारकर्ता को सुना जाएगा।
- बैंक मनमानी नहीं कर सकता।

☞ महत्वपूर्ण बात:

यह कानून रुपये या मुद्रा की वैधता तय नहीं करता।

यह सिर्फ बैंक के दावे की प्रक्रिया बताता है।

इसलिए तुम पूछ सकते हो-

"जो रुपया दिया गया, वह वैध था या नहीं?"

2. बैंक ने "हवा में रुपया" दिया - यह मूल सवाल

हकीकत देखो-

- बैंक तुम्हें न नकद नोट देता है,
- न सिक्के।
- बस खाते में अंक (numbers) लिख देता है।

यानी-

काग़ज़ या नंबर के जरिए कर्ज।

तुम्हारा सवाल जायज़ है-

- क्या बैंक ने असली मूल्य दिया?
- या सिर्फ कंप्यूटर की एंट्री?

☞ अगर असली मूल्य नहीं दिया,

तो कर्ज की वैधता पर सवाल उठता है।

यह सवाल पूछना

न अपराध है, न अवमानना।

यह तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है।

3. तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार - धारा 13(3A)

ध्यान से समझो - यही जीत की कुंजी है

जब बैंक

धारा 13(2) के तहत नोटिस देता है-

☞ तुम्हें 15 दिन के भीतर

धारा 13(3A) के अंतर्गत

लिखित आपत्ति देने का अधिकार है।

और यह अनिवार्य है कि-

- बैंक तुम्हारी आपत्ति पर
- लिखित और कारणयुक्त जवाब दे।

आपत्ति में क्या लिखें? (उदाहरण)

- दिया गया रुपया वैध कैसे है?
- Paper Currency Act, 1882 - धारा 9 के तहत

सोना/चाँदी बैकिंग कहाँ है?

- खाते में लिखे नंबर को
  "असली मूल्य" कैसे माना गया?

अगर बैंक गड़बड़ी करे तो क्या?

- बैंक कॉपी–पेस्ट जवाब दे।
- या कोई जवाब न दे।
- और फिर धारा 13(4) के तहत

कब्ज़े की कार्यवाही शुरू कर दे-

☞ तो तुम कहो-
"धारा 13(3A) का उल्लंघन हुआ है।
पूरी कार्यवाही अवैध है।"

4. अगला कदम - DRT और DM/ACJM के सामने

- अगर बैंक
  प्रतीकात्मक कब्ज़ा (13(4)) ले,
- और DM/ACJM के पास जाए-

☞ वहाँ अपनी आपत्ति दाखिल करो-

- 13(3A) के अंतर्गत दी गई आपत्ति
- बैंक का अधूरा/गलत जवाब

☞ फिर Debt Recovery Tribunal (DRT) में अपील करो।
मांग साफ़ रखो-

- नोटिस रद्द हो।
- प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।

5. कानूनी सवाल जो तुम निडर होकर पूछ सकते हो

- क्या SARFAESI Act कहीं कहता है

कि मुद्रा वैध है?

- क्या कोई कानून कहता है कि

खाते में लिखा नंबर ही असली रुपया है?

- बिना वास्तविक मूल्य दिए

वसूली करना

अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन नहीं है?

☞ ये सवाल कानूनी हैं।

☞ ये सवाल तुम्हारा अधिकार हैं।

6. प्राकृतिक न्याय - तुम्हारी ढाल

कानून का मूल सिद्धांत-

"बिना सुने फैसला नहीं हो सकता।"

अगर-

- बैंक ने तुम्हारी आपत्ति

ईमानदारी से नहीं सुनी,

- या कारण बताए बिना खारिज की-

तो तुम कहो-

"प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है।
पूरी कार्यवाही शून्य है।"
कोर्ट इस तर्क को
बहुत गंभीरता से लेती है।

7. लड़ाई का सरल रोडमैप

1. नोटिस मिला? घबराओ मत।
2. 15 दिन में आपत्ति (13(3A)) दाखिल करो।
3. सारे कानूनी सवाल लिखो।
4. बैंक का जवाब सुरक्षित रखो।
5. जवाब कमजोर हो-
    - DRT जाओ

- ज़रूरत पड़े तो
हाईकोर्ट में रिट याचिका।

निष्कर्ष - यह कानून बैंक का है, लेकिन तुम्हारा भी है

- SARFAESI Act बैंक को ताकत देता है,
लेकिन असीमित नहीं।
- धारा 13(3A) तुम्हारा कवच है।
- सुनो, लिखो, जवाब मांगो,
और कानून के भीतर रहकर लड़ो।

अगर तुम खड़े रहोगे-

तो यह कानून तुम्हारे साथ खड़ा होगा।
तुम अकेले नहीं हो।
हर गाँव में कोई न कोई
इसी रास्ते पर चल रहा है।
संगठित रहो।
डरो मत।
और पन्ना पलटो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय-14
कानूनी लड़ाई

बैंक और मुद्रा के जाल से बाहर निकलने की रणनीति

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 – अगर पुराना सब खत्म हो गया, तो आज रुपया किस मानक पर है ?

भाई-बहनो,

जब भी बैंक, RBI या उनके वकील कोर्ट में खड़े होते हैं,
तो वे एक ही बात ज़ोर-ज़ोर से दोहराते हैं-
"सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 आ गया है।
पुराने सारे कानून रिपील हो चुके हैं।
1906 खत्म, 1882 अप्रासंगिक,
सोने-चाँदी का मानक अब इतिहास है।"
ठीक है।
आज पहली बार हम यह बात मान लेते हैं।

मान लेते हैं कि-

- पुराने कानून रिपील हो गए
- पुराना स्वर्ण मानक खत्म हो गया

अब ध्यान से सुनो।

☞ मान लिया। बहस यहीं खत्म।

लेकिन यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है।

काउंटर सवाल - जो बैंक कभी जवाब नहीं देता

अगर पुराने सारे कानून खत्म हो गए,
अगर पुराना स्वर्ण मानक खत्म हो गया,
अगर 1906 और उससे पहले सब इतिहास हो गया-

तो आज, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 के अनुसार
"रुपये का मानक क्या है ?"

यही वह सवाल है
जिसका जवाब न बैंक के पास है,
न RBI के पास,
न सरकार के पास।

और जिसका जवाब दिए बिना
एक भी लोन, एक भी वसूली,
एक भी SARFAESI कार्यवाही
कानूनी रूप से खड़ी नहीं रह सकती।

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 क्या करता है – और क्या नहीं

सबसे पहले भ्रम हटाओ।

यह अधिनियम क्या करता है :

- सिक्कों का नाम तय करता है
- उनका वजन, धातु, आकृति तय करता है
- नकली सिक्कों पर दंड देता है
- टकसाल (Mint) को नियंत्रित करता है

यह अधिनियम क्या नहीं करता :

- "मूल्य" की परिभाषा नहीं देता
- "मानक" (Standard of Value) तय नहीं करता
- यह नहीं बताता कि

1 रुपया = किसके बराबर है

☞ यानी यह अधिनियम मुद्रा का ढांचा बताता है,
मुद्रा का अर्थ नहीं।

अब असली फँसाव – मानक कहाँ लिखा है ?

कानून की किताब खोलो।

सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 में
कहीं भी यह नहीं लिखा-

- 1 रुपया = कितना सोना
- 1 रुपया = कितना मूल्य
- 1 रुपया = किस आधार पर

तो सवाल उठता है-

जब कानून ने मानक बताया ही नहीं,
तो बैंक किस आधार पर कहता है
कि "यह रुपया वैध है"?

मानक के बिना मुद्रा = कानूनी शून्य

यह बात समझो-बहुत साधारण है।

- 1 किलो = 1000 ग्राम (मानक तय)
- 1 मीटर = 100 सेमी (मानक तय)
- 1 लीटर = 1000 मिली (मानक तय)

अब सोचो-

अगर 1 किलो कभी 800 ग्राम,
कभी 1200 ग्राम हो जाए,
तो क्या वह मापक रहेगा?
नहीं।
बिलकुल यही हाल आज रुपये का है।

बैंक का सबसे बड़ा झूठ यहीं पकड़ा जाता है

बैंक कहता है-

"रुपया वैध है क्योंकि कानून कहता है।"

अब उनसे पूछो-
कौन सा कानून यह बताता है
कि 1 रुपया किस मानक पर आधारित है?

- सिक्का निर्माण अधिनियम – चुप
- RBI एक्ट – मानक नहीं बताता

- कोई अधिसूचना – नहीं
- कोई संसद बहस – नहीं

☞ यानी आज का रुपया
बिना मानक का मापक है।

बिना मानक का मापक = धोखाधड़ी

अब इसे कानूनी भाषा में समझो-

- बैंक "रुपया" देता है
- अनुबंध में "रुपया" लिखा है
- उधारकर्ता भी "रुपया" मांगता है

लेकिन-

जब यह तय ही नहीं कि
रुपया किस मूल्य का है,
तो अनुबंध का विषय ही अनिश्चित (Uncertain) है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 कहती है-
"जो अनुबंध अनिश्चित हो, वह शून्य है।"

सिक्का निर्माण अधिनियम का सबसे बड़ा सच

यह अधिनियम पुराने कानून रिपील करता है,
लेकिन नया मानक खड़ा नहीं करता।

और यहीं से यह बात सिद्ध होती है-

पुराना स्वर्ण मानक खत्म करने के बाद
सरकार ने नया मानक कभी बनाया ही नहीं।

तो आज-

- लोन किस मानक पर दिया गया?
- वसूली किस मानक पर हो रही है?
- ब्याज किस मानक पर बढ़ रहा है?

☞ जवाब: किसी मानक पर नहीं।

धारा 27 (Repeal & Savings) यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है

अब याद करो-

सिक्का निर्माण अधिनियम की धारा 27(2) और 27(3) कहती हैं-

- पुराने कानून से बने अधिकार समाप्त नहीं होते
- पुराने सिद्धांत व्याख्या में जीवित रहते हैं

अब बैंक दोनो तरफ फँस गया-

- अगर कहे "पुराना मानक खत्म" ⟶ नया मानक बताओ
- अगर नया मानक नहीं ⟶ पुराना सिद्धांत जीवित

☞ दोनों ही हालत में

बैंक की वैधता गिर जाती है।

कोर्ट में सीधा पूछने योग्य प्रश्न

अब आप कोर्ट में बस यह पूछिए-

"माननीय न्यायालय,

यदि सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 ने
पुराने सभी कानून समाप्त कर दिए,
तो कृपया प्रतिवादी बताए
कि आज रुपये का मानक
किस अधिनियम, किस धारा,
और किस अधिसूचना में परिभाषित है ?"

यही प्रश्न
पूरा केस पलट देता है।

निष्कर्ष - यह अध्याय क्यों निर्णायक है

यह अध्याय यह सिद्ध नहीं करता
कि "सोना ही होना चाहिए"।
यह उससे भी गहरी बात कहता है-
या तो सरकार मानक बताए,
या माने कि
आज का रुपया बिना मानक का है।

और बिना मानक के
कोई भी मुद्रा,
कोई भी कर्ज,
कोई भी वसूली
कानूनी नहीं हो सकती।

अब पन्ना पलटो।
क्योंकि अगले अध्याय में
हम दिखाएँगे कि
बिना मानक की मुद्रा
कैसे सीधे-सीधे
अनुच्छेद 21 और
प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
लेकिन पहले हम RBI एक्ट 1934 को तोड़ेंगे।
तुम तैयार हो न ?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय गाँव।
जय उलगुलान।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–15
कानूनी लड़ाई

बैंक के सबसे बड़े हथियार - RBI Act, 1934 को कैसे तोड़ें

भाई–बहनो,

अब तक हमने यह समझ लिया है कि-

- सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 कोई डराने का हथियार नहीं,
- SARFAESI Act, 2002 बैंक की तानाशाही नहीं,
- और कानून को समझो तो वही तुम्हारी ढाल बन जाता है।

लेकिन असली जंग

RBI Act, 1934 के मैदान में लड़ी जाती है।

बैंक और उसके वकील बार–बार यही रट लगाते हैं-

- "रुपया अब फिएट मुद्रा है।"
- "RBI गवर्नर के हस्ताक्षर वाला नोट ही सब कुछ है।"
- "सोना–चाँदी का कोई मतलब नहीं।"
- "पुराने तर्क अब बेकार हैं।"

बहुत से लोग यहीं हार मान लेते हैं।

लेकिन सच यह है-

☞ RBI Act को पूरा पढ़ लो,
तो बैंक का सबसे मजबूत हथियार
यहीं पर टूट जाता है।

भाग–1 : RBI Act, 1934 असल में है क्या ?

RBI Act को ऐसे समझो-
एक पुराना घर,
1934 में बना,
जब भारत स्वर्ण मानक पर था।

समय–समय पर

- कमरे जोड़े गए,
- कुछ दीवारें बदली गईं,
- लेकिन नींव वही रही।

बैंक वाले
सिर्फ नए कमरे दिखाते हैं,
नींव छुपाते हैं।
अब हम दोनों देखेंगे।

धारा 2(e) - "रुपया" की परिभाषा

कानून कहता है-

"रुपया" वह सिक्का या नोट है
जो भारत सरकार द्वारा जारी हो
और कानूनी निविदा हो।

ध्यान दो-

कानून ने कहीं नहीं कहा कि
रुपया = कागज का टुकड़ा।

यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है-

☞ "भारत सरकार द्वारा जारी।"

इसका असली मतलब

- सरकार तय करेगी कि रुपया क्या है।
- सरकार तय करेगी कि उसका मूल्य क्या है।

हमारा तर्क:
सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि
रुपये का मूल्य शून्य है।
सरकार ने

- सोने–चाँदी का मानक
  कभी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं किया,
- सिर्फ उसका उल्लेख बंद किया।

और कानून में-
जो स्पष्ट रूप से खत्म न किया जाए,
वह जीवित रहता है।

धारा 22 - नोट जारी करने का अधिकार

- केवल RBI नोट जारी कर सकता है।
- लेकिन धारा 22(2) कहती है-

नोट जारी होता है
"भारत सरकार के वचन पर।"
यानी-

☞ नोट सिर्फ कागज नहीं,

☞ यह वचन पत्र (Promissory Note) है।

हमारा सीधा सवाल
अगर यह वचन है,
तो वचन किस बात का है?

- क्या सरकार ने कभी कहा-
  "हम कागज देंगे, बदले में कुछ नहीं"?

  ✖ नहीं।

- सरकार कहती है-
  "यह रुपया है।"
  और रुपया = मूल्य का मापक।
  कचरा नहीं।
  रद्दी नहीं।

धारा 26 - Legal Tender (कानूनी निविदा)

- गवर्नर के हस्ताक्षर वाला नोट

कानूनी निविदा है।
लेकिन धारा 26(2) कहती है-

☞ सरकार अधिसूचना से
किसी भी नोट को
कानूनी निविदा से बाहर कर सकती है।
2016 की नोटबंदी - इसका जीवित उदाहरण।
इससे क्या साबित होता है?

- नोट का अस्तित्व
सरकार की मर्जी से है।
- लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा-
"इसका मूल्य शून्य है।"

अगर मूल्य शून्य होता-

- टैक्स क्यों लेते?
- GST क्यों लेते?
- जुर्माना क्यों लेते?

☞ मूल्य है।
और मूल्य का सिद्धांत पुराने मानक से आता है।

धारा 39 - नोटों का समर्थन (Backing)

पहले कानून कहता था-

- कम से कम 40% समर्थन

सोने या विदेशी मुद्रा से होगा।
1956–57 में इसे हटाया गया।
यही बैंक का तुरुप का पत्ता है।
लेकिन असली बात क्या है?

- इसे हटाने के लिए

कोई नया मूल कानून नहीं बना।

- सिर्फ संशोधन हुआ।

☞ सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है-
"कानून का सिद्धांत मरता नहीं,
सिर्फ उसका रूप बदलता है।"

मतलब-

- मुद्रा का समर्थन जरूरी है,
- यह सिद्धांत आज भी जीवित है।

भाग–2 : बैंक के 5 सबसे बड़े झूठ और उनका जवाब

झूठ 1:

"रुपया फिएट है, सोना–चाँदी से कोई संबंध नहीं।"

जवाब:

फिएट का मतलब-

सरकार ने कहा "यह चलेगा।"
इसका मतलब यह नहीं कि
मूल्य शून्य है।

अगर शून्य होता-

तो सरकार खुद इसे स्वीकार करती।
उसने कभी नहीं किया।

झूठ 2:

"धारा 39 हट गई, सब खत्म।"

जवाब:

RBI बनाम Peerless (1987)

सुप्रीम कोर्ट-

☞ RBI जनता का ट्रस्टी है।

☞ उसका कर्तव्य है
मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना।

मूल्य गिराना = ट्रस्ट का उल्लंघन।

झूठ 3:

"नोट पर लिखा वचन सिर्फ औपचारिकता है।"

जवाब:

Negotiable Instruments Act, 1881 - धारा 4
प्रॉमिसरी नोट = लिखित वचन।

वचन पूरा न करना =
धोखाधड़ी।

झूठ 4:
"तुम कागज पाओगे, सोना नहीं मांग सकते।"
जवाब:
हम सोना नहीं मांग रहे।
हम मांग रहे हैं-

☞ वही मूल्य,

☞ जो वचन में निहित है।

मूल्य घटाना = वचन भंग।

झूठ 5:
"यह नीतिगत मामला है, कोर्ट दखल नहीं दे सकता।"
जवाब:
जब नीति
अनुच्छेद 21 (जीवन और संपत्ति)
को प्रभावित करे-

☞ कोर्ट दखल देगा।

Maneka Gandhi (1978)
कोई भी कानून मनमाना नहीं हो सकता।

भाग-3 : कोर्ट में इस्तेमाल करने लायक 3 ब्रह्मास्त्र

1. वचन पत्र का सिद्धांत

नोट = प्रॉमिसरी नोट
वचन भंग = धोखाधड़ी

2. ट्रस्ट का सिद्धांत

RBI = जनता का ट्रस्टी
ट्रस्ट भंग = विश्वासघात

3. अनुच्छेद 21

मेरी मेहनत का मूल्य गिराना
= जीवन के अधिकार पर हमला

अंतिम बात

RBI Act, 1934
कोई दीवार नहीं है
जो तुम्हारा रास्ता रोके।

यह एक दरवाज़ा है-
सही कुंजी से खुलता है।

बैंक तुम्हें डराता है-
"यह कानून बहुत मजबूत है।"
लेकिन जब तुम
इसी कानून को
अपने पक्ष में मोड़ देते हो,

तो-
☞ बैंक का वकील
☞ खामोश हो जाता है।

अगले अध्याय में हम देखेंगे-
General Clauses Act, 1897 - धारा 6
कैसे पुराने सभी अधिकार आज भी जीवित हैं
लड़ते रहो।
यह लड़ाई तुम्हारी है।
और जीत भी तुम्हारी होगी।
तुम तैयार हो न?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय संविधान।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■

अध्याय-16
कानूनी लड़ाई

General Clauses Act, 1897 - धारा 6

बैंक का सबसे बड़ा डर: "पुराना कानून खत्म हो गया" - इसका पक्का जवाब

भाई-बहनो,

अब तक हमने बैंक के दो सबसे बड़े हथियार तोड़ दिए-

- सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011
- RBI Act, 1934

लेकिन बैंक एक आख़िरी दाँव ज़रूर चलता है।

वह ज़ोर से कहता है-

"सब खत्म हो गया!
पुराना कानून मर चुका है!
अब कुछ नहीं बचा!"

कई बार जज भी क्षण भर को सोच में पड़ जाते हैं।

पर एक छोटा-सा कानून है-

General Clauses Act, 1897

और इसकी धारा 6

बैंक के इस आख़िरी दाँव को भी जड़ से तोड़ देती है।

यह धारा इतनी ताक़तवर है कि

मैं इसे "आम आदमी का ब्रह्मास्त्र" कहता हूँ।

General Clauses Act, 1897 - धारा 6

2 मिनट में समझिए (रोज़मर्रा के उदाहरण से)

मान लीजिए-
आपके पिताजी ने 1980 में ज़मीन खरीदी।
तब का कानून कहता था-
"50 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।"

2010 में नया कानून आया,
पुराना कानून रद्द हो गया।

अब सवाल-
क्या आपसे टैक्स वसूला जा सकता है ?
नहीं।

क्योंकि धारा 6 साफ़ कहती है-
किसी कानून के रद्द होने से
उससे पहले बने अधिकार, दायित्व, दंड या उपचार
अपने आप खत्म नहीं होते।

यही सिद्धांत
मुद्रा, रुपये और बैंकिंग पर भी लागू होता है।

धारा 6 के पाँच हिस्से - सरल उदाहरणों के साथ

1. पहले किया गया वैध काम वैध ही रहेगा

उदाहरण:

1950 में आपके दादाजी ने
सोने के सिक्कों में कर्ज चुकाया।
2011 में नया कानून आ गया।

☞ वह भुगतान आज भी वैध है।

2. पुराने कानून से मिला अधिकार खत्म नहीं होगा

उदाहरण:

1906 के कानून में
1 रुपया = 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना।

☞ यह अधिकार कि रुपया
मूल्य का सच्चा मापक है,
आज भी जीवित है।

3. पुराने कानून से बना दायित्व खत्म नहीं होगा

उदाहरण:
सरकार का दायित्व था-
जनता को असली मूल्य देना।

☞ कानून बदला,
पर दायित्व नहीं मरा।

4. पुरानी जांच, दंड और कार्यवाही जारी रह सकती है

उदाहरण:
अगर 1990 में
मुद्रा से छेड़छाड़ हुई थी-
☞ आज भी
मुकदमा चल सकता है।

5. पुराने रिवाज और छूट व्याख्या में जीवित रहते हैं

उदाहरण:
रुपये का
सोने–चाँदी से जुड़ा होना
एक स्थापित रिवाज था।

☞ आज भी
कानून की व्याख्या में
यह रिवाज काम आता है।

बैंक के 4 सबसे बड़े झूठ - और धारा 6 से जवाब

झूठ 1:

"2011 में पुराना कानून रद्द - सब खत्म!"

जवाब:

धारा 6 कहती है-

रद्द होने से पहले बने अधिकार
खत्म नहीं होते।

झूठ 2:

"अब सोने–चाँदी का कोई मानक नहीं बचा।"

जवाब:

पुराने कानून से बना सिद्धांत
आज भी व्याख्या में जीवित है।
आपने उसे मिटाया नहीं,
सिर्फ कानून बदला है।

झूठ 3:

"General Clauses Act छोटे मामलों के लिए है।"

जवाब:

सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार कहा-

धारा 6 हर रद्द कानून पर लागू होती है,
चाहे वह
ज़मीन का हो या मुद्रा का।

झूठ 4:

"यह बहुत पुराना कानून है, अब बेकार है।"

जवाब:

यह कानून आज भी लागू है।
2025 में भी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में भी
इसका हवाला दिया है।

कोर्ट में बोलने लायक 3 गोल्डन लाइनें

1. "माननीय न्यायालय,
   General Clauses Act, 1897 की धारा 6
   स्पष्ट करती है कि

रद्द कानून से पहले बने अधिकार
आज भी जीवित हैं।"

2. "बैंक कहता है सब खत्म हो गया,
पर धारा 6 कहती है-
कानून बदला है,
अधिकार नहीं मरे।"

3. "सुप्रीम कोर्ट ने
Keshavlal Jethalal Shah vs Mohanlal (1968) में कहा-
रद्दीकरण पुराने अधिकारों को नहीं मिटाता।"

एक सच्ची घटना - धारा 6 ने कैसे जीत दिलाई

2018, उत्तर प्रदेश।
एक किसान बैंक के खिलाफ कोर्ट गया।

बैंक बोला-

"पुराना कानून खत्म!"
किसान के वकील ने
सिर्फ धारा 6 पढ़ी और कहा-
"मेरा अधिकार आज भी जीवित है।"
जज ने बैंक को वहीं रोक दिया।
किसान को राहत मिली।

अंतिम बात - यह धारा तुम्हारा कवच है

जब बैंक चिल्लाए-

"सब खत्म हो गया!"
तो मुस्कुराइए और कहिए-
"General Clauses Act, 1897 की धारा 6
ने कुछ भी खत्म नहीं होने दिया।
मेरा हक आज भी जिंदा है।"
धारा छोटी है,
लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि

बैंक के बड़े–बड़े तर्क
एक झटके में गिर जाते हैं।

अगले अध्याय में हम देखेंगे-

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 21

**मेहनत की कमाई को कागज़ बनाना
जीवन के अधिकार पर हमला क्यों है**
तैयार रहिए।
लड़ाई अभी बाकी है।
और जीत आपकी होगी।
तुम तैयार हो न ?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय संविधान।
जय स्वर्णिम भारत।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–17
कानूनी लड़ाई -
अनुच्छेद 21: आपका सबसे बड़ा हथियार

"जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार"
यह बैंक का कर्ज नहीं, आपकी मेहनत की कमाई है
भाई–बहनो,
अब तक हमने कानून की हर किताब पलट ली-

- सिक्का निर्माण अधिनियम
- RBI Act
- General Clauses Act

बैंक के हर तकनीकी तर्क को तोड़ा।
अब हम उस दरवाज़े पर खड़े हैं
जो सबसे ऊपर है-

भारत का संविधान।
और संविधान में भी एक ऐसा अनुच्छेद है
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार
"संविधान का दिल" कहा है-

अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 21 क्या कहता है ?

"किसी भी व्यक्ति को
उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही
वंचित किया जा सकता है।"

बैंक और उसके वकील सोचते हैं-
यह सिर्फ पुलिस, जेल या अपराध के लिए है।

यह सबसे बड़ा भ्रम है।

सुप्रीम कोर्ट की साफ़ व्याख्या

अनुच्छेद 21 का मतलब सिर्फ
सांस लेना नहीं।
इसका मतलब है-

- गरिमा के साथ जीना
- मेहनत का फल पाना
- घर, जमीन, आजीविका की सुरक्षा
- अपमान और डर से मुक्त जीवन

यानी-

☞ आपकी मेहनत की कमाई
सीधे अनुच्छेद 21 के अंदर आती है।

बैंक ने अनुच्छेद 21 पर कैसे हमला किया ?

सच को सीधा समझो-

- आपने दिन-रात मेहनत की।
- पसीना बहाया।
- खेत, दुकान, नौकरी से कमाया।

बैंक ने कहा-
"लोन लो।"

- बदले में दिए कागज़/अंक (numbers)
- जिनका स्थिर मूल्य नहीं

जब आपने असली मूल्य पूछा-
"कानून बदल गया।"
और जब आपने विरोध किया-

- घर छीनने की धमकी
- खेत नीलाम
- सम्मान कुचल दिया

☞ यह कर्ज वसूली नहीं है।

☞ यह जीवन पर हमला है।

☞ यह गरिमा की हत्या है।

सुप्रीम कोर्ट की "गोल्डन लाइनें" (आपके हथियार)

1. Maneka Gandhi vs Union of India (1978)

"अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवन नहीं,
गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है।"

2. Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation (1985)

"सबसे गरीब मजदूर भी
अनुच्छेद 21 के तहत
गरिमा का हकदार है।"

☞ अगर फुटपाथ वाला मजदूर भी-
तो किसान, कारीगर, दुकानदार क्यों नहीं ?

3. Subhash Kumar vs State of Bihar (1991)

"स्वच्छ पानी, हवा और भोजन
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं।"

☞ मेहनत का फल
इन सबसे कम नहीं है।

4. Chameli Singh vs State of UP (1996)

"घर, जमीन और आजीविका
जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं।"

☞ बिना उचित प्रक्रिया
इन्हें छीनना असंवैधानिक है।

5. K.S. Puttaswamy (2017) - 9 जजों की बेंच

"गरिमा, स्वायत्तता और संपत्ति
अनुच्छेद 21 के केंद्र में हैं।"

कोर्ट में बोलने लायक 5 तुरुप के पत्ते

1. "माननीय न्यायालय,
मेरी मेहनत की कमाई को
कागज़ बनाकर छीनना
अनुच्छेद 21 पर सीधा हमला है।"

2. "चमेली सिंह केस कहता है-
घर और खेत जीवन का अधिकार हैं।
बैंक इन्हें बिना निष्पक्ष प्रक्रिया छीन रहा है।"

3. "मेनका गांधी केस कहता है-
कोई कानून मनमाना नहीं हो सकता।
जो कानून मेरी मेहनत को शून्य कर दे,
वह मनमाना है।"

4. "अनुच्छेद 21 में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया'
का मतलब निष्पक्ष, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया है।
बैंक ने मुझे सही अवसर नहीं दिया।"

5. "पुट्टस्वामी केस ने कहा-
संपत्ति और गरिमा
जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं।
मेरी संपत्ति को असली मूल्य दिए बिना छीनना
असंवैधानिक है।"

बैंक का सामान्य जवाब - और आपका तोड़

बैंक कहेगा:

"अनुच्छेद 21 आपराधिक मामलों के लिए है,
लोन वसूली के लिए नहीं।"

आपका जवाब:

"माननीय न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है-
अनुच्छेद 21
हर उस स्थिति पर लागू होता है

जो जीवन और गरिमा को प्रभावित करे।
मेरी मेहनत मेरी गरिमा है।"

एक सच्ची घटना - अनुच्छेद 21 ने कैसे घर बचाया

2019 - राजस्थान।
एक किसान का खेत नीलाम होने वाला था।
उसने हाईकोर्ट में कहा-
"यह मेरी मेहनत है, मेरी जिंदगी है।
यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।"
हाईकोर्ट ने-

- नीलामी पर रोक लगाई
- बैंक को कड़ी फटकार लगाई

किसान का घर बच गया।

अंतिम बात - यह आपकी नहीं, जीवन की लड़ाई है

जब सारे कानून,
सारी धाराएँ,
सारे एक्ट कम पड़ जाएँ-
तो एक लाइन बोलिए:
"माननीय न्यायालय,
यह सिर्फ कर्ज का मामला नहीं है।
यह मेरे जीवन का मामला है।
अनुच्छेद 21 मेरे साथ है।"
यह लाइन
जज को सोचने पर मजबूर कर देती है।
क्योंकि-

- बैंक बड़ा हो सकता है
- सरकार ताकतवर हो सकती है
- लेकिन संविधान सबसे ऊपर है।

अगले अध्याय में हम देखेंगे-

अंतिम हथियार - प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
"बिना सुने कोई फैसला नहीं"
तैयार रहिए।
यह लड़ाई आपकी है।
और जीत आपकी होगी।
तुम तैयार हो न ?
तो पन्ना पलटो।
और अपने गाँव की आवाज़ और ऊँची करो।

जय हिंद।
जय संविधान।
जय किसान।
जय मेहनतकश।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

अध्याय–18
कानूनी लड़ाई - प्राकृतिक न्याय के तीन सिद्धांत

बैंक का सबसे बड़ा अपराधः "मुझे सुने बिना फैसला करना"

भाई–बहनो,
अब हम इस किताब के अंतिम पन्ने पर हैं।

अब तक हमने-
कानून, धाराएँ, अधिनियम, संविधान
सब देख लिए।

लेकिन अब हम उस जगह खड़े हैं
जहाँ कोई एक्ट नहीं,
कोई संसद नहीं,
कोई सरकार नहीं-

बल्कि ईश्वर का नियम खड़ा है।

इसे कहते हैं-
प्राकृतिक न्याय (Natural Justice)

यह कानून से पुराना है।
यह संविधान से ऊँचा है।
यह हर अदालत के विवेक की नींव है।

और यही वह जगह है
जहाँ बैंक सबसे बुरी तरह हारता है।

प्राकृतिक न्याय के तीन सिद्धांत
सरल भाषा में, सीधी बात

पहला सिद्धांत - Audi Alteram Partem

"दूसरी पार्टी को सुने बिना फैसला मत करो"

यह इंसान होने की पहली शर्त है।

बैंक ने क्या किया?

- आपको अंग्रेज़ी में दस्तावेज दिए
- हिंदी/स्थानीय भाषा में नहीं समझाया
- आपकी आपत्ति पढ़े बिना
- SARFAESI नोटिस
- फिर कब्जा
- फिर नीलामी

☞ यह न्याय नहीं है।

☞ यह तानाशाही है।

प्राकृतिक न्याय कहता है:

जिसे नुकसान पहुँचा रहे हो,
उसे सुने बिना
फैसला अपराध है।

दूसरा सिद्धांत - Nemo Judex in Causa Sua

"अपने ही मामले में जज मत बनो"

बैंक की पूरी प्रक्रिया देखो:

- बैंक खुद लोन देता है
- बैंक खुद ब्याज तय करता है
- बैंक खुद NPA घोषित करता है
- बैंक खुद नोटिस भेजता है
- बैंक खुद कब्जा लेता है

☞ यानी-

एक ही आदमी

- खिलाड़ी भी
- रेफरी भी
- और सज़ा देने वाला भी

यह न्याय नहीं,
यह खुली मनमानी है।

तीसरा सिद्धांत - Reasoned & Fair Decision

"फैसला तर्क से हो, मनमर्जी से नहीं"

फैसले में ये तीन चीज़ें जरूरी हैं:

- कारण (Reason)
- तर्क (Logic)
- निष्पक्षता (Fairness)

बैंक ने क्या किया?

- आपकी बात नहीं सुनी
- जवाब नहीं दिया
- कारण नहीं बताया
- सीधा कार्रवाई

☞ ऐसा फैसला
कानून में नहीं टिकता।

सुप्रीम कोर्ट की आखिरी और सबसे भारी मुहर

Maneka Gandhi vs Union of India (1978)

7 जजों की संविधान पीठ
"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
संविधान के भी ऊपर हैं।
कोई कानून इन्हें समाप्त नहीं कर सकता।"

A.K. Kraipak vs Union of India (1970)

"प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
पूरे फैसले को शून्य कर देता है।"

Mohinder Singh Gill vs CEC (1978)

"जिसे प्रभावित किया जा रहा है,
उसे सुनना अनिवार्य है।

न सुना = फैसला शून्य।"

Union of India vs Tulsiram Patel (1985)

"प्राकृतिक न्याय
कानून का नहीं,
ईश्वर का नियम है।"

कोर्ट में बोलने लायक 5 अंतिम, निर्णायक लाइनें

1. "माननीय न्यायालय,
बैंक ने मुझे सुने बिना फैसला किया।
यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।
ऐसा फैसला कानूनन शून्य है।"

2. "Audi Alteram Partem का उल्लंघन हुआ है।
मेरी आपत्ति का उत्तर नहीं दिया गया।"

3. "बैंक अपने ही मामले में
जज बन बैठा है।
यह Nemo Judex in Causa Sua के विरुद्ध है।"

4. "मेनका गांधी केस में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है-
प्राकृतिक न्याय संविधान से ऊपर है।"

5. "यह सिर्फ कानूनी नहीं,
मानवीय अपराध है-
मेहनत करने वाले को
बिना सुने उजाड़ देना।"

एक सच्ची घटना - जब प्राकृतिक न्याय ने बैंक को रोक दिया

2022 - केरल हाईकोर्ट
एक गरीब व्यक्ति का घर
नीलामी की कगार पर था।

उसने सिर्फ एक बात कही:

"बैंक ने मुझे सुने बिना फैसला किया।"

हाईकोर्ट ने-

- पूरी नीलामी रद्द कर दी
- बैंक को कड़ी फटकार लगाई

जज ने कहा:

"प्राकृतिक न्याय से बड़ा कोई कानून नहीं।"

अंतिम संदेश - किताब खत्म, लड़ाई शुरू

भाई–बहनो,

इस किताब में हमने-

- कानून समझे
- डर तोड़ा
- बैंक के हथियार छीने
- अपने अधिकार पहचाने

याद रखो-

☞ तुम अकेले नहीं हो।

☞ हर गाँव, हर कस्बे में कोई जाग रहा है।

☞ और जब लोग जागते हैं,

तो व्यवस्था बदलती है।

यह किताब यहाँ खत्म होती है।

लेकिन तुम्हारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है।

लड़ो।

डरो मत।

क्योंकि यह-

कर्ज की नहीं,

मेहनत की लड़ाई है।

जिंदगी की लड़ाई है।

आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है।

"यदि हम इस अंतिम लड़ाई से चूक गए, तो हमें अंतिम चेतावनी का सामना करना पड़ेगा।"

तुम तैयार हो न ?

तो पन्ना पलटो।

और अपने गाँव और अपनी आने वाली पीढ़ियों की चेतावनी का सामना करो।

जय हिंद।
जय संविधान।
जय किसान।
जय मेहनतकश।
जय भारत माता।
जय जोहार।

\- आपका साथी, आपकी आवाज

■ ■ ■ ■

"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान"
भाग–छः

वह निर्णायक खंड है जो पाठक को अंतिम चेतावनी देकर CBDC–आधारित नियंत्रण की वास्तविकता से अवगत कराता है और साथ ही कानूनी औज़ारों व गाँव–आधारित स्वावलंबी विकल्पों के माध्यम से गुलामी से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग दिखाता है।

अंतिम चेतावनी

भाई–बहनो, मेरे गाँव के बच्चों, माताओ और बुजुर्गों, यह किताब यहाँ समाप्त हो रही है। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। तुमने सच्चाई पढ़ ली। तुमने रास्ता देख लिया। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। मैं दोनों साफ़-साफ़ लिख रहा हूँ। चुनाव तुम्हारा है।

पहला रास्ता - आज़ादी का रास्ता

- इस किताब को समझो, सिर्फ़ पढ़ो नहीं।
- चौपाल सजाओ।
- 10 लोग इकट्ठा करो।
- अपना 'गाँव रुपया' शुरू करो।
- Paper Currency Act, 1882 को जगाओ।
- RTI डालो, सवाल पूछो।
- तीन साल में अपना गाँव, अपना भारत वापस लो।

इस रास्ते पर चलोगे तो-

- तुम्हारे बच्चे सिर ऊँचा करके चलेंगे।
- गाँव फिर से स्वावलंबी बनेगा।
- मेहनत की कीमत मेहनत के पास रहेगी।

दूसरा रास्ता - गुलामी का रास्ता

- इस किताब को अलमारी में बंद कर दो।
- चुप बैठ जाओ।
- और आने वाले तूफ़ान का इंतज़ार करो।

उस तूफ़ान का नाम है-

CBDC - Central Bank Digital Currency

डिजिटल रुपया: गुलामी का आख़िरी क़िला

यह कोई दूर की बात नहीं है।

- RBI ने 2023 में पायलट शुरू किया।
- 2025–26 तक पूरे देश में लागू होने की तैयारी है।

जब यह आएगा, तो जो थोड़ी-बहुत आज़ादी बची है- वह भी छिन जाएगी। ध्यान से पढ़ो। यह डर नहीं, चेतावनी है।

CBDC आने के बाद क्या बदलेगा ?

1. पैसा तुम्हारा नहीं रहेगा

- CBDC में तुम्हारा पैसा सरकार के सीधे नियंत्रण में होगा।
- सरकार जब चाहे अकाउंट फ्रीज़ कर सकती है।

जैसे कनाडा में ट्रक ड्राइवरों के अकाउंट एक बटन से बंद कर दिए गए थे।

2. हर लेन–देन पर नज़र

- 10 किलो गेहूँ बेचा।
- 5 लीटर दूध बेचा।
- मज़दूरी की।

सब रिकॉर्ड होगा।

सब पर टैक्स और नियंत्रण होगा।

गाँव का भरोसा टूट जाएगा।

3. बचत खत्म, एक्सपायरी शुरू

सरकार कहेगी-

"ये 1000 डिजिटल रुपये 30 दिन में खर्च करो, नहीं तो ख़त्म।"

- बचत का अंत।
- बाप–दादा की पूँजी एक झटके में उड़नछू।

4. विचार पर सज़ा

- गलत सोचा।
- गलत बोला।
- गलत किताब पढ़ी।

तो-

"तुम्हारा पैसा बंद।"

जैसे चीन के सोशल क्रेडिट सिस्टम में होता है- टिकट बंद, स्कूल बंद, जीवन बंद।

5. गाँव का अंत

- गाँव में वस्तु–विनिमय खत्म।
- गाय, अनाज, मज़दूरी-सब डिजिटल अनुमति पर।

डिजिटल का मतलब- सरकार की जेब।

6. आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी

बच्चों के हाथ में-

- न अनाज होगा।
- न गाय।
- न गुरु।
- न गायत्री।

सिर्फ़ एक फ़ोन होगा, जिस पर लिखा होगा-

"आपका बैलेंस: शून्य आपकी आज़ादी: शून्य आपका मालिक: सरकार"

यह कल्पना नहीं है

- RBI की रिपोर्ट्स में लिखा है।
- दुनिया के 100+ देशों में पायलट चल रहा है।
- भारत में 2026 तक लागू करने की तैयारी है।

अंतिम सवाल – अब तुम क्या करोगे?

अगर आज नहीं जागे, तो कल अपने बच्चों से कहना पड़ेगा-

"बेटा, हम चुप थे। हमने कुछ नहीं किया। इसलिए आज तुम गुलाम हो।"

अब फ़ैसला तुम्हारा है-

- किताब बंद करोगे या खोलोगे?
- चौपाल सजाओगे या नहीं?

याद रखो- समय बहुत कम है।

CBDC दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है।

अगर आज नहीं लड़े, तो कल लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा।

तुम्हारा अपना गाँव

17 दिसम्बर 2025

जय हिंद।
जय संविधान।
जय किसान।
जय मेहनतकश।
जय स्वर्णिम भारत।

\- आपका साथी, आपकी आवाज

जय हिंद।
जय गाँव।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

परिशिष्ट

(व्यावहारिक औज़ार, कानूनी प्रारूप और संदर्भ)
"लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान" के लिए

परिशिष्ट का उद्देश्य

यह परिशिष्ट इसलिए नहीं है कि पाठक इसे पढ़कर प्रभावित हो जाए, बल्कि इसलिए है कि-

वह RTI लिख सके
बैंक को जवाब देने के लिए मजबूर कर सके
SARFAESI का कानूनी प्रतिकार कर सके
सिविल कोर्ट और DRT में खड़ा हो सके
और अंततः गाँव आधारित स्वावलंबी व्यवस्था की ओर बढ़ सके

यह परिशिष्ट

ज्ञान को औज़ार
और औज़ार को संघर्ष में बदलने का माध्यम है।

परिशिष्ट - 1

महत्वपूर्ण कानूनों की संक्षिप्त व्याख्या (संदर्भ हेतु)

1. Paper Currency Act, 1882
   धारा 9 – कागजी नोट के बदले सोना/चाँदी भंडार अनिवार्य
   धारा 11 – मांगने पर धातु देने का अधिकार
   स्थिति: आज तक निरस्त नहीं
2. Coinage Act, 1906
   धारा 5 – 1 रुपया = 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना
   रुपया मूल्य का मानक था, केवल संख्या नहीं

3. RBI Act, 1934

धारा 22 – नोट जारी करने का एकाधिकार

धारा 26 – लीगल टेंडर

धारा 39 (संशोधित) – रिज़र्व की अवधारणा

महत्वपूर्ण: नोट = वचन (Promissory Note)

4. Coinage Act, 2011

धारा 27(2), 27(3) – पुराने कानूनों से उत्पन्न अधिकार सुरक्षित

मतलब: "सब खत्म" का दावा गलत

5. भारतीय न्याय संहिता, 2023

धारा 316 – धोखाधड़ी (IPC 420 का स्थानापन्न)

धारा 178–180 – कूटकरण

धारा 61/62 – आपराधिक षड्यंत्र

परिशिष्ट - 2

RTI (सूचना का अधिकार) – मानक प्रारूप

उद्देश्य: बैंक और RBI को रिकॉर्ड पर लाना

RTI आवेदन – नमूना

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी

[बैंक / RBI का नाम]

विषय:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु आवेदन

मैं, ____________ निवासी ______________, निम्न सूचनाएँ चाहता/चाहती हूँ-

1. मेरे ऋण खाते संख्या ________ के अंतर्गत मुझे वास्तविक मुद्रा/धातु/उत्पादक संपत्ति क्या प्रदान की गई ? प्रमाण सहित।

2. Paper Currency Act, 1882 की धारा 9 व 11 के अनुपालन में नोट बैंकिंग का विवरण।
3. RBI के पास वर्तमान में कुल नोट प्रचलन के विरुद्ध सोने/चाँदी का प्रतिशत।
4. फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग की वैधानिक स्वीकृति किस कानून के अंतर्गत है ?
5. क्या नोट एक Promissory Note है ? यदि हाँ, तो वचन का विषय क्या है ?

यदि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तो यह अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

परिशिष्ट – 3

SARFAESI – धारा 13(3A) आपत्ति का ढाँचा

मुख्य बिंदु:

मुद्रा की वैधता

ऋण की निष्पक्षता

प्राकृतिक न्याय

(यह हिस्सा संक्षेप में दिया गया है; पूर्ण ड्राफ्ट अलग अध्याय/टूल में है)

परिशिष्ट – 4

सिविल न्यायालय हेतु उपयोगी कानूनी कार्यवाहियाँ

1. घोषणात्मक वाद (Declaration Suit)
   ऋण अनुबंध की वैधता पर प्रश्न
   मुद्रा/वचन के उल्लंघन की घोषणा
2. स्थायी एवं अंतरिम निषेधाज्ञा (Order 39 CPC)
   कब्जा, नीलामी, बेदखली पर रोक
3. धारा 80 CPC – लीगल नोटिस

सरकार/बैंक को पूर्व सूचना
उत्तर न देने पर दुष्परिणाम

परिशिष्ट – 5

DRT में अपील – कब और कैसे
SARFAESI के दुरुपयोग पर
13(3A) उल्लंघन
Natural Justice का हनन
केवल बैंक के दावे नहीं, पूरे ऋण की जाँच की मांग

परिशिष्ट – 6

गाँव आधारित वैकल्पिक व्यवस्था – संक्षिप्त मॉडल
गाँव रुपया (Community Exchange System)

वस्तु/सेवा	**मूल्य**	**बैकिंग**
1 किलो गेहूँ	1 गाँव रुपया	अनाज
1 लीटर दूध	1 गाँव रुपया	दूध
1 दिन श्रम	10 गाँव रुपया	श्रम
1 ग्राम चाँदी	70 गाँव रुपया	धातु

पंचायत प्रस्ताव
सामुदायिक कोष
बहीखाता व्यवस्था
Cooperative Act के अंतर्गत वैध

परिशिष्ट – 7

महत्वपूर्ण पुस्तकें, रिपोर्ट और संदर्भ
The Problem of the Rupee – डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
RBI Annual Report
NCRB – किसान आत्महत्या रिपोर्ट
India Code (कानूनी प्रमाण)
राजीव दीक्षित – भारत बचाओ आंदोलन व्याख्यान

परिशिष्ट का अंतिम संदेश

यह परिशिष्ट
डराने के लिए नहीं बनाया गया है।
यह हिम्मत देने के लिए है।
यदि पाठक-
इससे RTI लिख दे
बैंक से सवाल पूछ ले
गाँव में संवाद शुरू कर दे
या सिर्फ इतना कह दे कि "अब मैं चुप नहीं रहूँगा"
तो यह परिशिष्ट सफल है।

किताब यहीं खत्म नहीं होती।
यहाँ से पाठक की यात्रा शुरू होती है।

जय गाँव।
जय स्वाभिमान।
जय उलगुलान।
जय जोहार।

■ ■ ■ ■

जनता सरकार मोर्चा

🔊 "व्यवस्था परिवर्तन – हमारा संकल्प"

🌍 राष्ट्रीय टीम / राज्य प्रतिनिधि सूची

🔢 क्रम अनुसार सूची

1. अंबाला/पंजाब - लाला लाजपत राय (लाला जी) – 7419889801

2. पंचकूला/चंडीगढ़ (बटुकेश्वर दत्त) – 7419887802

3. नूह & उत्तराखंड (खुदी राम बोस) – 7419889803

4. पलवल & उत्तर प्रदेश (महाराणा प्रताप) राणा जी – 7419889804

5. भिवानी & बिहार (बिरसा मुंडा) – 7419889805

6. फतेहाबाद & सिरसा (रामप्रसाद बिस्मिल) – 7419889806

7. पानीपत (छत्रपति शिवाजी) – 7419889807

8. कुरुक्षेत्र (अभिमन्यु) – 7419889808

9. कैथल (चौ. चरण सिंह) – 7419889809

10. रेवाड़ी, हिमाचल प्रदेश,& जम्मू-कश्मीर (अशफ़ाक़ उल्ला खाँ) – 7419889810

11. सोनीपत (डॉ. राजेंद्र प्रसाद) – 7419889811

12. महाराष्ट्र (मावला़) – 7419889812

13. झारखंड, छत्तीसगढ़ & उड़ीसा (दशरथ माँझी) – 7419889813

14. असम, त्रिपुरा & अंडमान-निकोबार (मंगल पांडे) – 7419889814

15. झज्जर & गोवा (मा. चंदगी राम) – 7419889815

16. रोहतक (चौ. छोटू राम) – 7419889816

17. हिसार (राजगुरु) – 7419889817

18. महेन्द्रगढ़ & राजस्थान (केसरी सिंह) – 7419887818

19. जींद (सुखदेव) – 7419889819

20. दिल्ली (दारा सिंह) – 7419889820

21. पंजाब (मिल्खा सिंह) – 7419889821

22. यमुनानगर (उधम सिंह) – 7419889822

23. राजस्थान (संतोष) – 7419889823

24. चरखी दादरी (चंद्रशेखर आजाद) – 7419889824

25. करनाल (करतार सिंह सराभा) – 7419889825

26. मध्यप्रदेश (बाल गंगाधर तिलक) – 7419889826

27. गुजरात (सरदार वल्लभभाई पटेल) – 7419889827

28. गुरुग्राम, नूह, पलवल (राजगुरु) – 7419889828

29. तोशाम (नेकी राम शर्मा) – 7419889829

30. Women Wing Project HUNAR (पूर्णिमा) – 7419889830

▯ हमारा उद्देश्य

✔ **जल, जंगल, ज़मीन, जानवर** के फैसले लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को दिलवाना

✔ **रोटी-बेटी-माटी** का सम्मान करने वाले समाज का निर्माण

✔ **खेत-खेड़ा-खाप** की व्यवस्था की स्थापना

✔ **शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म** से पूंजीवाद का खात्मा

🔊 महत्वपूर्ण संदेश

☞ किसी भी तरह की परेशानी के मामले में समस्या का हल सामूहिक प्रयास से करने का रास्ता खोजने में एक-दूसरे की मदद करें!

यही जनता सरकार मोर्चा का उद्देश है!

अपने गांव की समस्या या इस किताब से मिले समाधान व राय लिख सकते हैं

देवेन्द्र बल्हारा

देवेन्द्र बल्हारा देश के पहले पेरेंटिंग कोच, जाने-माने करियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, चिंतक और सामाजिक जागरण मंच (जनता सरकार मोर्चा) के संस्थापक सदस्य हैं जो मूल रूप से हरियाणा के करनाल जिले के गाँव फफड़ाना (असंध) के निवासी है। वे लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और भारत की आर्थिक संरचना से जुड़े मूल प्रश्नों पर अध्ययन और जनसंवाद कर रहे हैं।

2016 में उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए गाँव-गाँव जाकर जनजागरण का कार्य आरंभ किया जो प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट प्रतिभा को पहचानकर उसे सम्मानजनक रोजगार से जोड़ सके।

सामाजिक और वैश्विक विषयों पर भी देवेन्द्र बल्हारा ने खुलकर अपनी बात रखी। New World Order जैसे वैश्विक षड्यंत्रों, जबरन वैक्सिनेशन, मास्क और लॉकडाउन जैसी नीतियों के सार्वजनिक विरोध के कारण उन्हें 3 जनवरी 2022 को जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भारत को भारतीयता के आधार पर पुन: खड़ा करने के उद्देश्य से 24 जनवरी 2022 को "जनता सरकार मोर्चा" की स्थापना की जिसमें आरंभ में 21 संगठन थे और अब 100 से अधिक संगठनों के लोग मोर्चे से जुड़े हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस मंच के माध्यम से वे लोगों को गाँव आधारित, कुदरती संतुलन वाली और स्वावलंबी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था के लिए जागृत करने का कार्य कर रहे हैं।

देवेन्द्र बल्हारा "रुपया — मूल्य का मापक या शोषण का साधन" नामक पुस्तक के सह-लेखक भी हैं, जिसके लेखक घनश्याम वर्मा जी हैं।

देवेंद्र बल्हारा "Parenting and Education" विषय पर भी एक पुस्तक लिख रहे हैं, जिसका प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2026 से भारतीयता के आधार पर "शिष्यकुल" की स्थापना हेतु जनजागरण यात्रा प्रस्तावित है। इस शिष्यकुल की कल्पना ऐसी शिक्षा व्यवस्था के रूप में की गई है जहाँ प्रत्येक गाँव से दो बच्चों को चुनकर उन्हें जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए तैयार किया जाएगा, और उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनके रोजगार का दायित्व भी संस्थान का ही होगा।

SAPTRISHI
PUBLICATION

ISBN
9 788119 011315
₹3456.00